अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र

सर्वोदय जगत

वर्ष- 43, अंक- 08, 1-15 दिसंबर 2019

नैसर्गिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक राजनैतिक सत्ता है। समाज और राज्य व्यक्ति से और व्यक्ति के लिए हैं। इसलिए व्यक्ति की निजता और उसकी पहचान पर समाज या राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को एकान्त तथा गोपनीयता के साथ आत्मनिर्णय का अधिकार है। व्यक्ति की निजता मनुष्य की प्रकृति का एक स्वाभाविक पहलू है। यह जीवन के अधिकार, देह की स्वतंत्रता और व्यक्ति मात्र की प्रतिष्ठा का अंतर्भूत अंग है। इसीलिए अपरिहार्य और अविच्छेद भी है। व्यक्ति की निजता पर अंकुश की अवधारणा अमानवीय और अप्राकृतिक है। भारत के करीब चालीस करोड़ व्हाट्सऐप उपयोगकर्ताओं की निजता को प्रभावित करने वाला व्हाट्सऐप जासूसी मामला इसी प्रकार के नियंत्रण का परिणाम है। एक इजराइली कंपनी द्वारा बनाया गया पैगेसस जासूसी सॉफ्टवेयर बिना किसी हलचल के लक्षित व्यक्ति के मोबाइल से उसकी निजी जानकारियों पर नियंत्रण कर रहा है। अनेक भारतीयों की व्यक्तिगत जिन्दगी उनके स्मार्टफोन और व्हाट्सऐप के जरिये इस सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रण की जद में हैं।

सर्व सेवा संघ
(अखिल भारत सर्वोदय मंडल)
द्वारा प्रकाशित
अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र
सर्वोदय जगत
सत्य, अहिंसा एवं सर्वोदय-सम्पूर्ण क्रांति का संदेश वाहक
वर्ष : 43, अंक : 08, 01-15 दिसंबर 2019

अध्यक्ष
महादेव विद्रोही

संपादक
बिमल कुमार
सहसंपादक
प्रेम प्रकाश
09453219994
संपादक मंडल
डॉ. रामजी सिंह भवानी शंकर 'कुसुम'
प्रो. सोमनाथ रोडे अरविन्द अंजुम,
रमेश ओझा अशोक मोती

संपादकीय कार्यालय
सर्व सेवा संघ
राजघाट, वाराणसी-221001 (उ.प्र.)
फोन : 0542-2440-385/223
ईमेल : sarvodayajagat@gmail.com
Website : sssprakashan.com

शुल्क

एक प्रति	:	05 रुपये
वार्षिक	:	100 रुपये
आजीवन	:	1000 रुपये

खाता संख्या : 383502010004310
IFSC Code : UBIN0538353
Union Bank of India
Rajghat, Varanasi

इस अंक में...

1. संपादकीय-1... 2
2. संपादकीय-2... 3
3. अध्यक्ष की कलम से... 4
4. मानव जीवन को लील रहा प्रदूषण... 7
5. निजता में सेंध लगाती कंपनियां... 8
6. व्हाट्सऐप जासूसी कांड देश की सुरक्षा... 10
7. सावरकर को भारत रत्न देना... 12
8. उपन्यास - 'बा'.... 15
9. श्रद्धांजलि : महावीर त्यागी... 17
10. गतिविधियां एवं समाचार... 18
11. कविताएं... 20

संपादकीय-1

सर्वोच्च फैसले के निहितार्थ

सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का जो समाधान निकाला है वह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। सभी पक्षों को उस समाधान को समग्रता में मानना चाहिए। इस समाधान में भविष्य के लिए यह संकेत है कि विवादों का निपटारा कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हो और न्यायालय के निर्णय का सम्मान हो। सत्य के बहुत से पक्ष होते हैं। इस समाधान से सत्य का एक पक्ष स्थापित हुआ है। वह दार्शनिकों एवं युग-द्रष्टाओं का काम है कि वे सत्य की खोज उसकी समग्रता में करें।

उच्चतर न्यायालय ने अपने निर्णय में दो महत्त्वपूर्ण बातें स्वीकार की हैं। एक, उसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट को अपना आधार बनाया। उच्चतम न्यायालय ने एएसआई की पुरातात्विक खुदाई के साक्ष्यों के आधार पर उन इतिहासविदों व पुरातत्व के विद्वानों के निष्कर्षों को संज्ञान में नहीं लिया जो एएसआई के निष्कर्षों से भिन्न हैं। साक्ष्य तथ्य हैं। उनके आधार पर निष्कर्षों की भिन्नता, साक्ष्यों के विश्लेषण की वैज्ञानिक विधि में भिन्नता होने के कारण होती है। यदि भिन्न वैज्ञानिक विधि से किये गये विश्लेषणों को उच्चतम न्यायालय अपने संज्ञान में लेता तो समाधान का आधार ही न बन पाता। यह अलग बात है कि पुरातात्विक शोधकर्ता भविष्य में भी इन पर शोध करते रहेंगे।

उच्चतम न्यायालय ने दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह स्वीकार की कि रामलला का दावा ही वैध है। इसलिए रामलला के अलावा अन्य सारे पक्षकारों का दावा खारिज कर दिया। इससे राम मंदिर बनाने की जिम्मेदारी किसी भी पक्ष को देने के बजाय, सरकार द्वारा बनाये गये ट्रस्ट को यह जिम्मेदारी देने का निर्णय देना सुगम हो गया। ज्ञात हो कि सन् 1949 से चल रहे इस विवाद में रामलला सन् 1989 में पक्षकार बने।

उच्चतम न्यायालय ने सन् 1949 में रामलला की मूर्ति को गर्भगृह (तत्कालीन मस्जिद के भीतरी कक्ष) में रखने की कार्यवाई तथा सन् 1992 में मस्जिद को ढहाने की कार्यवाई को गैर कानूनी माना। अर्थात् उच्चतम न्यायालय ने यह जाहिर किया कि उसका निर्णय इन गैरकानूनी कार्रवाइयों से अप्रमाणित है।

इस विचार का एक इतिहास है। सन् 1528 में बाबरी मस्जिद बनी थी, लेकिन बाबरी मस्जिद के पक्षकार यह नहीं सिद्ध कर सके कि सन् 1528 से सन् 1858 तक इस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी। सन् 1856 में विवाद खड़ा होने पर सन् 1857 में बाहरी अहाते में ग्रिल लगाये गये तथा राम चबूतरा व मस्जिद का परिसीमन कर दिया गया। सन् 1885 में फैजाबाद के जिला जज ने राम चबूतरा पर मंदिर निर्माण की इजाजत नहीं दी, किन्तु राम चबूतरा एवं मस्जिद के पृथक अस्तित्व को स्वीकार किया। वर्तमान मुकदमा तब शुरू हुआ, जब सन् 1949 में गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया एवं बाद में वहां ताला लगा दिया गया।

उच्चतम न्यायालय की सबसे महत्त्वपूर्ण टिप्पणी यह है कि न्यायालय किसी एक आस्था को किसी दूसरी आस्था पर तरजीह नहीं देता। अर्थात कानून की नजर में सभी आस्थाएं समान हैं। इसका निहितार्थ यह हुआ कि यदि एक आस्था को मानने वाला समुदाय, किसी दूसरी आस्था को मानने वाले समुदाय के साथ भेदभाव करता है तो यह संविधान की और कानून की भावना के विपरीत कार्य होगा।

एक अन्य टिप्पणी भी ध्यान देने योग्य है। फैसले के पैराग्राफ 798 में कहा गया कि "मुस्लिमों को इबादत से रोकने और उनके कब्जे को हटाने का काम 22/23 दिसंबर 1949 की रात को किया गया, जब हिन्दू मूर्तियों की स्थापना द्वारा मस्जिद को अपवित्र किया गया। मुस्लिमों को कानूनी प्राधिकार के तहत बाहर नहीं किया गया और मुस्लिमों से गलत तरीके से एक मस्जिद छीन ली गयी, जिसका निर्माण 450 साल से भी पहले हुआ था।" (द वायर हिन्दी से उद्धृत)

इस समाधान की सार्थकता तभी होगी जब भविष्य में किसी मंदिर या मस्जिद या किसी अन्य धार्मिक स्थल के विवाद में राजनीति न हो। उस विचार को सत्ता पाने का माध्यम न बनाया जाये। ऐसे किसी भी विवाद की सुनवाई न्यायालय में हो तथा न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सभी पक्ष शांति बनाये रखें और अंत में जो भी निर्णय आये, उसका सम्मान करें। भारत की बहुलतावादी संस्कृति पर प्रहार को रोकने में इस समाधान का योगदान होगा, ऐसी ही आशा करनी चाहिए। इसके अलावा इस फैसले का कोई दूरगामी महत्त्व नहीं हो सकता। ❑

संपादकीय-2

शिक्षा पर हमला

आज शिक्षा जगत, कई तरफ से प्रहारों को झेल रहा है। इनमें दो घटनाएं प्रमुख हैं। एक बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं धर्म विज्ञान संकाय में डॉ. फिरोज खान की नियुक्ति का इस आधार पर विरोध कि वे मुस्लिम हैं। दूसरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाने के विरुद्ध तथा फीस वृद्धि के पीछे की मंशा के विरुद्ध छात्रों का आंदोलन।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं धर्म विज्ञान संकाय में डॉ. फिरोज खान की नियुक्ति की अनुशंसा जिस चयन समिति ने की थी, उसके सदस्य उस विभाग के अध्यक्ष भी थे। शायद विरोध कर रहे लोगों का मानना है कि विभागाध्यक्ष, कुलपति आदि को विभाग की नियमावली, परम्परा एवं शुचिता का ज्ञान नहीं है। केवल उन्हें ज्ञान है जो 'हिन्दू संस्कृति' के स्वयंभू ठेकेदार हैं।

इस संदर्भ में कई महत्त्वपूर्ण ज्ञान संबंधी आयाम हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। पहली बात तो यह कि धर्मशास्त्र अलग क्षेत्र है तथा धर्म की ठेकेदारी की व्यवस्था को पोषित करने वाला ज्ञान अलग क्षेत्र है। ये दोनों भिन्न हैं। धर्म शास्त्र व्यापकता की ओर ले जाता है तथा धर्म की ठेकेदारी की व्यवस्था संकीर्णता की ओर ले जाती है।

दूसरी बात यह कि भाषा या ज्ञान को धर्म से जोड़ना गलत है। शब्दकोष, भाषाकोष एवं ज्ञान कोषों की रचना तभी संभव हुई, जब ऐसे विद्वान आये जो दो या दो से अधिक भाषाओं के प्रकाण्ड विद्वान थे। अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा (या भाषाओं) का विकास जिस संस्कृति में हुआ, उसका मर्म समझकर व उसे आत्मसात् करके ही वे ऐसे कोषों की रचना कर सके। वे कई संस्कृतियों को जोड़ने तथा उनकी सम्मिलित शक्ति का संवर्धन करने वाले लोग थे। जहां एक ओर कई भाषाओं, संस्कृतियों को समृद्ध करना है, वहीं इस प्रक्रिया में जन्म आधारित शुद्धतावाद एवं श्रेष्ठतावाद का निषेध भी होता जाता है। जो जन्म आधारित शुद्धतावाद एवं श्रेष्ठतावाद के पैरोकार हैं, वे ही मानते हैं कि वे जिस ज्ञान एवं पद्धति का संचालन करते हैं, वह अन्य के लिए ज्ञेय नहीं है।

यहीं यह समझना भी जरूरी है कि साधना भी किसी एक धर्म से जुड़े लोगों में परिसीमित नहीं होती। बौद्ध साधना की पद्धतियां कई धर्मों के लोगों ने सीखी हैं। इसी प्रकार महर्षि रमण, महर्षि अरविंदो, परमहंस योगानंद आदि अनेक विभूतियां ज्ञान को उपलब्ध हुई हैं, जिनके शिष्यों में बड़ी संख्या में अन्य धर्मों के लोग भी थे। उनके निर्देशन में इन्होंने साधना सीखी तथा साधना के उच्च स्तर तक पहुंचे। इसलिए साधना पद्धति तथा कर्मकांड को भी संगठित धर्म से जोड़ना गलत है। हम यह भी जानते हैं कि आज योग दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। साधना स्वयं में वंशानुगत या जातिगत श्रेष्ठता के विचार का निषेध है। वंशानुगत एवं जातिगत श्रेष्ठता को मानने वाले जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसे चुनौती देना आवश्यक है।

संस्कृत भाषा का भी इस्तेमाल वेदों या उपनिषदों की रचना के लिए ही नहीं हुआ। नास्तिकों तथा लोकायतवादी विचारकों ने भी इसी भाषा का इस्तेमाल किया था। किसी ज्ञान को भाषा या धर्म से जोड़ना, इस ज्ञान को संकुचित बनाता जाता है तथा उसके विकास या समृद्धि की संभावना को खत्म करता जाता है।

कुछ अन्य बातों की भी जानकारी आवश्यक है। केरल की गोपालिका अन्थार्जनम ने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तथा एक ब्राह्मण के साथ ही उनका विवाह हुआ और वे केरल में अरबी भाषा की शिक्षिका रहीं। प्रोफेसर किश्वर जबीं नसरीन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्ष रहीं। यहां सूची गिनाने की जरूरत नहीं है, किन्तु एक बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक रहे हैं, जो अरबी या संस्कृत पढ़ाते थे, किन्तु किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़े थे।

तो धर्म से भाषा या संस्कृति या कर्मकाण्ड या साधना-पद्धति को जोड़ने के पीछे का मकसद क्या है? एक, यह बहुलतावादी संस्कृति पर हमला है। संस्कृतियों के परस्पर अन्तःसंबंधों, तथा उनके परस्पर संबंधों से जो बहुलतावादी संस्कृति विकसित होती है, वह इनके एजेंडा में बाधा बनती है। और, यह एजेंडा है, धर्म (छद्मधर्म) के आधार पर राष्ट्र के निर्माण को परिभाषित करना। धर्म यानि वह धर्म, जो धर्म की ठेकेदारी की व्यवस्था को पोषित करे।

आज तो स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि यह अभिमान चलाया जा रहा है कि अपनी भाषा में जो अन्य भाषाओं से शब्द आये हैं, उनका इस्तेमाल न करें। अन्य धर्मों के धर्मोत्सवों में शामिल न हों। यहां तक कि फूल, पशु-पक्षियों तथा व्यंजनों का भी धर्म के आधार पर बंटवारा करने की कोशिश चल रही है। ये सभी शक्तियां शिक्षा जगत में पिछले दरवाजे से घुसना चाह रही हैं तथा शिक्षा के स्वरूप व चरित्र को नकारात्मक दिशा में परिवर्तित करना चाह रही हैं।

शिक्षा के स्वरूप पर हमला, एक दूसरे तरफ से भी हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली में शैक्षणिक तथा छात्रावासों की फीस कई गुणा बढ़ा दी गयी है। फीस का मामला तो अपनी जगह है, किन्तु छात्रों के आंदोलन का विरोध करने वालों ने जेएनयू के खिलाफ जिस तरह का मोर्चा खोल दिया है, उससे जाहिर हो गया कि फीस तो बहाना है, असली हमला जेएनयू की अस्मिता पर है। शिक्षा सर्वसुलभ हो तथा उच्च शिक्षा योग्य को सुलभ हो, यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है। यानि यदि छात्र योग्य हो किन्तु गरीब हो तो वह उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाये। इसलिए उच्च शिक्षा में फीस वृद्धि का एक ही नियम होना चाहिए—वह यह कि देश के सबसे गरीब 30 प्रतिशत परिवारों के छात्र उससे वंचित न रह जायें। एनएसएस का डाटा आपको यह सूचना प्रदान कर सकता है कि गरीबी स्तर के निचले 30 प्रतिशत परिवारों के छात्र, शिक्षा पर कितना खर्च कर सकते हैं। यह सिद्धांत देश भर के सभी राज्यपोषित शिक्षा संस्थानों पर लागू होना चाहिए। उच्च और प्रोफेशनल शिक्षा से गरीब वंचित किये जा रहे हैं, यह शिक्षा के स्वरूप पर एक बड़ा हमला है। लेकिन यहां भी एक बड़ा तथा अघोषित एजेंडा है—शिक्षा का निजीकरण तथा विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में प्रवेश देने की अनुमति। निजीकरण तथा विदेशी विश्वविद्यालयों की उपस्थिति—ये दोनों कारपोरेट जगत के हितसाधक होंगे। शिक्षा अपने उच्च लक्ष्यों से भटक जायेगी। शिक्षा जिसे समता लाने का माध्यम बनना चाहिए, वह असमानता बढ़ाने का माध्यम बन जायेगी।

शिक्षा पर जो चौतरफा हमला है, वह केवल छात्रों की चिन्ता का ही विषय नहीं होना चाहिए। सभी जागरूक नागरिकों को एकजुट होकर इसका विरोध करना होगा। ये राष्ट्र को बचाने की लड़ाई का हिस्सा है।

–बिमल कुमार

अध्यक्ष की कलम से

❑ महादेव विद्रोही

व्हाट्सएप द्वारा जासूसी : निजता के अधिकार पर कुठाराघात

पिछले दिनों मेसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की ओर से मुझे एक ई-मेल प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया है कि इज़राइली स्पायवेयर पेगासस द्वारा जिन 1400 लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट में स्पायवर्म का प्रवेश किया गया है, जिन लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट की निगरानी (snooping) की जा रही है, उसमें मेरा भी नाम है। यह जानकर मुझे क्षोभ एवं आश्चर्य हुआ।

मैं व्हाट्सएप का बहुत ही कम उपयोग करता हूं। फिर भी मेरे खाते की जासूसी करना दर्शाता है कि सरकार से भिन्न राय रखने वाले छोटे-से-छोटे कार्यकर्ताओं के एक-एक कदम की जासूसी की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जासूसी की सूची में 100 से अधिक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, सिविल सोसायटी के लोगों, पत्रकारों आदि के नाम हैं। पूर्व सांसद, सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन के सक्रिय कार्यकर्ता एवं 'चौथी दुनिया' के संपादक संतोष भारतीय, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल, निहाल सिंह राठोड (भीमा कोरेगांव केस के वकील), बेला भाटिया (छत्तीसगढ़ की सामाजिक कार्यकर्ता), शालिनी गेरा (छत्तीसगढ़ की वकील, आनन्द तेलतुंबडे (एकेडमिक) शुभ्रांशु चौधरी (बीबीसी के पूर्व पत्रकार), आशीष गुप्ता (पीयूसीएल कार्यकर्ता) सरोज गिरी (दिल्ली युनिवर्सिटी के प्रोफेसर), सिद्धान्त सिब्बल (पत्रकार), राजीव शर्मा (पत्रकार), आदि के नाम जासूसी की सूची में शामिल हैं। सरकार की नजर में ये सभी

शायद नक्सलियों के हमदर्द तथा देशद्रोही हैं।

व्हाट्सएप का कहना है कि उसने मई महीने में ही इस जासूसी की जानकारी भारत तथा अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों को दे दी थी। उसने पेगासस स्पायवेयर विकसित करने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप पर अमेरिका के संघीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया है।

रिपोर्टों के अनुसार यह स्पायवेयर विश्व भर में लगभग 1400 मोबाइल उपकरणों पर भेजा गया है। इस तरह की जासूसी के लिए पेगासस ऑपरेटर एक खास लिंक उपयोगकर्ताओं के पास भेजता है। इसपर क्लिक करते ही स्पायवेयर उपयोगकर्ता की स्वीकृति के बिना स्वयं ही इन्स्टॉल हो जाता है। इस स्पायवेयर के नये संस्करण में लिंक की भी आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एक मिस्ड वीडियो कॉल के द्वारा ही इन्स्टॉल हो जाता है। इस स्पायवेयर के इन्स्टॉल होने के बाद पेगासस ऑपरेटर को फोन से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। इसकी विशेषता यह है कि यह पासवर्ड द्वारा रक्षित उपकरणों को भी निशाना बना सकता है। यह मोबाइल के रोमिंग में होने पर डाटा नहीं भेजता।

पेगासस मोबाइल में संग्रहित सूचनाएं, व्हाट्सएप आदि जैसे कम्युनिकेशन्स एप्स के सन्देश साफ्टवेयर ऑपरेटर को भेज सकता है। यह स्पायवेयर उपकरण की कुल मेमोरी का 5 प्रतिशत से भी कम उपयोग करता है। इसके कारण उपयोगकर्ताओं को इसके होने का आभास भी नहीं होता।

पेगासस स्पायवेयर ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड, आईओएस (आईफोन) और सिंबियन आधारित उपकरणों को प्रभावित कर सकता है। इसके ऑपरेशन की पहली रिपोर्ट 2016 में सामने आयी, जब संयुक्त अरब अमीरात में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता को उसके आईफोन 6 पर एक एसएमएस लिंक के साथ निशाना बनाया गया। *(स्रोत : न्यूजट्रेक, द हिन्दू आदि)*

अभी तो सिर्फ व्हाट्सएप द्वारा जासूसी का मामला सामने आया है पर जानकारों का कहना है कि सरकार बड़ी संख्या में फेसबुक, ई-मेल, मेसेज आदि की भी निगरानी करती है। यह नागरिकों के निजता के अधिकार पर सीधा प्रहार है।

पेगासस स्पायवेयर विकसित करने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप का कहना है कि वह अपने स्पायवेअर सिर्फ सरकारों को ही बेचती है। इसका सीधा अर्थ है कि भारत में जिन लोगों के व्हाट्सएप खातों में स्पायवेयर प्रवेश कराये गये हैं, उसमें सरकार की सहमति है।

भाषा और धर्म के आधार पर भेदभाव

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में संस्कृत विद्या एवं धर्म विज्ञान संकाय में संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में फिरोज खान की नियुक्ति के कारण कुछ धर्मांध लोगों ने हंगामा खड़ा कर रखा है। डॉ.फिरोज खान ने जयपुर के संस्कृत संस्थान से पीएचडी किया है।

हमारी भाषाएं जितनी पढ़ी जायं और उनका जितना विकास हो, वह उतनी ही अच्छी बात है। इसको किसी धर्म के साथ जोड़ना

हमारे दिमागी दिवालियेपन की निशानी है। इसी विश्वविद्यालय में 2015 से ऋषि शर्मा नाम के एक प्रोफेसर उर्दू विभाग में कार्यरत हैं और आजतक यहां के विभागाध्यक्ष है। प्रो.आफताब अहमद अफाखी के अनुसार खुद मदन मोहन मालवीय ने यहां उर्दू, अरबी और फारसी के विभाग बनवाये। तब से लेकर अब तक इस विभाग में बड़ी हस्तियां हिन्दू रही हैं। वे कहते हैं कि मौलवी महेश प्रसाद उर्दू की दुनिया में एक बड़ा नाम है। उन्होंने गालिब की चिट्ठियों को निखारने का काम किया है। वाराणसी के ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में डा. नाहिद

आबिदी संस्कृत पढ़ाती हैं। उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रो. मोहम्मद शरीफ हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय में सन 50 के दशक में एक हिन्दू प्रोफेसर शमशेर बहादुर अरबी पढ़ाया करते थे। वहीं अरबी संस्कृति विभाग में 2011 तक के.के.रस्तोगी पढ़ाते थे। नगर निगम डिग्री कॉलेज में आज भी सुनील माथुर अरबी संस्कृति पढ़ा रहे हैं। केरल में गोपालिका अन्थार्जनम अरबी की शिक्षिका थीं। अभी तीन वर्ष पहले वह सेवानिवृत्त हुई हैं। वे गोपालिका टीचर के नाम से छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं। गोपालिका टीचर कहती हैं कि देश के सभी नागरिकों को कोई भी भाषा सीखने तथा उसके अध्यापन का अधिकार है, इसे किसी धर्म के साथ जोड़ना गलत है। जब गोपालिका टीचर ने अरबी पढ़ाना शुरू किया था, तब स्कूल प्रशासन को एक नम्बूदरी ब्राह्मण शिक्षिका द्वारा अरबी पढ़ाया जाना अच्छा नहीं लगा तथा उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। उन्होंने स्कूल प्रशासन के इस निर्णय को केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें उनकी जीत हुई और उन्होंने 1989 से 2016 तक अरबी का अध्यापन किया।

इसी नवम्बर में बेलूर मठ स्थित रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर में रमजान अली को संस्कृत के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। मुझे नहीं मालूम इस विरोध के पीछे सही मंशा क्या है। भारत में अंग्रेजी के अलावा जर्मन, फ्रेंच, फारसी, चीनी सहित कई विदेशी भाषाएं पढ़ायी जाती हैं। इनको पढ़ाने वाले अधिकांश लोग भारत के ही हैं। क्या बीएचयू में हंगामा खड़ा करने वाले लोग चाहते हैं कि इन भाषाओं को भारत के लोग नहीं पढ़ायें?

ब्रज भाषा का पहला व्याकरण 1675 से कुछ पूर्व मिर्जाखान इब्न फ़खरुद्दीन मोहम्मद द्वारा 'तुहफ़तुल हिन्द' के नाम से लिखा गया। हिन्दी का संभवतः पहला व्याकरण 1744 में बेंजामिन सल्तस द्वारा लिखा गया था। 1873 में पास्तर डब्ल्यू इथरिंगटर द्वारा 'भाषा भास्कर' के नाम से हिन्दी का व्याकरण तैयार किया गया।

देश के अनेक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हिन्दू धर्मावलंबी एवं उर्दू विभाग के अध्यक्ष होते आ रहे हैं। भारत में सभी जगहों पर अंग्रेजी विभागों के अध्यक्ष भारतीय ही हैं। क्या हम चाहते हैं कि भारतीय अंग्रेजी नहीं पढ़ायें? क्या सिर्फ अंग्रेज और ईसाई ही अंग्रेजी पढ़ायें?

हम शान से रसखान (सईद इब्राहिम), नज़ीर अकबराबादी, मौलाना हसरत मोहानी, अली सरदार जाफरी, मौलाना जफ़र अली, शाह बरक़तुल्लाह, ताज मुगलानी, आलम शेख, रहीम, अमीर खुसरो, हज़रत निजामुद्दीन औलिया के दोहे पढ़ते हैं। इनके दोहे भक्ति रस के हैं। क्या हम चाहते हैं कि इनकी रचनाओं पर प्रतिबंध लगा दिये जायें क्योंकि वे हिन्दू नहीं थे?

झारखंड भूदान समिति

झारखंड राज्य में वर्षों से भूदान समिति नहीं थी, इसके कारण वहां अनेक समस्याएं खड़ी हो गयी हैं। देशभर में भूदान में मिली सर्वाधिक जमीन (14,69,280 एकड़) झारखंड में है। पर अभी तक इसमें से लाखों एकड़ जमीन का वितरण होना बाकी है। इस सन्दर्भ में हमने 8 जनवरी 2015 को झारखंड के मुख्यमंत्री को भूदान समिति के गठन हेतु पत्र लिखा था। इसके पश्चात् मैंने इस संबंध में चर्चा के लिए झारखंड के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा, पर 2015 से 2019 तक उन्हें मिलने का समय नहीं मिला। साथ ही उन्होंने इतने वर्षों तक इस पर कुछ किया भी नहीं। लाचार होकर झारखंड के लोगों को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

31 अक्तूबर 2019 को सरकार ने भूदान समिति का गठन किया है। पर सदस्यों को नवम्बर में इसकी जानकारी दी गयी है। इससे प्रतीत होता है कि इस समिति की अधिसूचना विधानसभा चुनाव के बाद की गयी है, पर आचार संहिता के डर से पिछले महीने की तारीख डाली गयी है।

समिति के सदस्यों में सिर्फ 2 नाम अरविन्द अंजुम और रामचन्द्र रवानी सर्व सेवा संघ की सूची से लिये गये हैं। शेष नाम सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के हैं। समिति का अध्यक्ष भी एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी को बनाया गया है। इससे भूदान की भावना आहत हुई है।

सेवाग्राम आश्रम के पदाधिकारी किस राह पर!

सेवाग्राम आश्रम और 5 करोड़ : डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में सेवाग्राम आश्रम को 5 करोड़ रुपये दिये गये थे। आश्रम की संचालक समिति ने धन्यवाद के साथ वह रकम लौटा दी। आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा आज़ादी के आन्दोलन के दौरान की गयी थी, वे मूल्य जीवित रहें इसलिए यह आवश्यक है कि आश्रम को जन-सहयोग से ही चलाया जाय। बाद में वर्धा की एक संस्था ने यह कहकर वह 5 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त कर लिये कि वह आश्रम का ही काम कर रही है।

कई लोग सोचते हैं कि आश्रम को हाई-फाई बनाया जाय। ऐसे लोगों का यह मानना है कि सर्व सेवा संघ के कारण वर्धा तथा वर्धा के व्यापार का विकास नहीं हो पा रहा है। वे वर्धा में हवाई अड्डा बनवाना चाहते हैं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं, दुनिया बापू की झोपड़ी देखने आती है। महल देखने के लिए सेवाग्राम आने की जरूरत नहीं है।

जब आश्रम बन रहा था तब बापू ने उनके लिए बन रही कुटी के बारे में कहा था कि इसके निर्माण में 100 रुपये से अधिक खर्च नहीं होना चाहिए और ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो 25 किलोमीटर से अधिक दूर से आयी हो। आज दुनिया में जो पर्यावरण का संकट खड़ा हुआ है, इसके लिए बापू का यह निर्णय मार्गदर्शक है।

5 करोड़ वापस पर अब नयी दरख्वास्त : हमने आत्मसम्मान के साथ 5 करोड़ तो लौटा दिये पर 25 जुलाई 2019 को महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री आश्रम में आये तो आश्रम की ओर से आश्रम के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए उन्हें आवेदन दिया गया। इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई, जो उचित ही है। लोग

मानते हैं कि यह सब सर्व सेवा संघ की सहमति से हो रहा है। पर वास्तविकता यह है कि जब आवेदन पत्र देने का समाचार अखबारों में छपा तो अशोक बंग ने अपनी प्रतिक्रिया के साथ वह सब मुझे भेजा, तब मुझे पता चला।

हम मानते हैं कि आश्रम का यह कदम आश्रम की मर्यादाओं का उल्लंघन था तथा अनावश्यक था। संचालक समिति के निर्णय के बगैर इस तरह का कोई कदम गैरजिम्मेवाराना तथा अनुशासनहीन कदम है।

सीमेंट-कंक्रीट के जंगल : माल-ए-मुफ्त, दिले बेरहम : पिछले 4-5 वर्षों में सेवाग्राम आश्रम परिसर को सीमेंट कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया गया है। पिछले करीब दो वर्षों से इसकी गति और तेज कर दी गई है। आश्रम के अध्यक्ष खुश हैं कि हमें मुफ्त में इतने सारे निर्माण मिल रहे हैं। उनके लिए मुफ्त मिलने वाली हर चीज़ अमृत के समान है, भले वह ज़हर ही क्यों न हो। ऐसे कई निर्माण हो गये हैं या हो रहे हैं, जिनकी आश्रम को कोई आवश्यकता नहीं है। इसके रखरखाव पर आश्रम को प्रतिमाह लाखों रुपये खर्च करने होंगे, पर यह उनकी चिंता का विषय नहीं है।

संचालक समिति की ऐसी-तैसी : 13 अगस्त को वर्धा की विभिन्न संस्थाओं तथा व्यक्तियों के साथ आश्रम के अध्यक्ष ने एक बैठक रखी। वहां से लौटते हुए मैंने देखा कि आश्रम के सामने का मैदान सीमेंट-कंक्रीट के खंभों (पिलरों) से भरा पड़ा है। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ।

8 जुलाई को आश्रम संचालक समिति की बैठक में यात्री निवास में सीमेंट के ब्लॉक लगाने पर सख्त नाराज़गी भी व्यक्त की थी। सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि अब से सीमेंट-कंक्रीट का कोई भी काम संचालक समिति की मंजूरी के बगैर नहीं होगा। मैं आश्रम संचालन समिति की पांच बैठकों में लगातार मांग करता रहा हूं कि आश्रम परिसर में जो भी निर्माण हो रहा है, उसकी जानकारी समिति को दी जाय पर वह आजतक नहीं दी गई। मेरी बात नक्कारखाने में तूती की आवाज़ बनकर रह गई। आश्रम के अध्यक्ष, जिन्हें मैंने ही नियुक्त किया है, ने संचालन समिति के उक्त निर्णय को ताख पर रख दिया और सीमेंट-कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिये। मैंने पत्र लिखकर उसे रोकने की मांग की पर आज भी इस जंगल के विस्तार का काम धड़ल्ले से चल रहा है और मैं भीष्म पितामह

की तरह सब देख रहा हूं। आंखों से गरम लहू बह रहा है पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। एक अपराधी की तरह चौराहे पर खड़ा हूं। मैंने अपने को आजतक इतना विवश कभी नहीं पाया था। जहां ये जंगल खड़े किये जा रहे हैं, वहीं पिछले वर्ष सर्व सेवा संघ का अधिवेशन तथा सर्वोदय सम्मेलन हुआ था। इस जंगल के बाद किसी सार्वजनिक कार्य के लिए आश्रम के पास कोई खुली जगह नहीं बची है।

राष्ट्रपति सेवाग्राम आश्रम में : मित्रों से ज्ञात हुआ कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 अगस्त को सेवाग्राम आश्रम में आने वाले है। सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष आश्रम की संचालन समिति के पदेन सदस्य होते हैं, पर हमें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई।

हमने जब इसके अध्यक्ष से पूछा तो उन्होंने बताया कि हां, वे आ रहे हैं। वे रुस्तम भवन के पास वाले दरवाजे से आयेंगे, 25 मिनट तक रहेंगे और एक पेड़ लगायेंगे। मैंने उन्हें कहा कि जिला प्रशासन और अन्य सुरक्षा एजेन्सियों को बताया जाना चाहिए कि आश्रम में कोई भी हथियारधारी प्रवेश नहीं करे एवं राष्ट्रपति आश्रम के मुख्य द्वार से ही आयें। वे तर्क देने लगे कि सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है। राहुल गांधी आये थे, तब भी हथियारधारी आये थे, पर दूर खड़े थे।

मैंने उन्हें कहा कि आपने उन्हें नहीं रोका, इसलिए वे आये। प्रशासन को इस संबंध में कुछ कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। ऐसी स्थिति में मैंने सीधे राष्ट्रपति को पत्र लिखकर बताया कि राष्ट्रपति डॉ.राजेन्द्र प्रसाद से लेकर अबतक इस परम्परा का पालन होता रहा है, आप भी इसका पालन करें। मैंने यह भी कहा कि हम आश्रम के दरवाजे पर ही आपका स्वागत करेंगे। 16 अगस्त की शाम पता चला कि राष्ट्रपति को बापू कुटी में जाने के लिए चप्पल खरीद कर लायी गयी है तथा उसका चित्र राष्ट्रपति भवन को भेजा गया है।

रात करीब 9.45 बजे फोन आया – महादेव भाई! यह क्या करवा रहे हैं? सी आई डी वालों ने बापू कुटी में राष्ट्रपति के बैठने के लिए कुर्सी रखी है। आश्रम में सबसे वृद्ध कुसुम बहन तथा सुचित्रा बहन ने इसका विरोध किया और कुर्सी निकाल दिया। फिर आश्रम के अध्यक्ष नरसैया प्रभु आये और उन्होंने कुर्सी की जगह गट्टू (पेड़ के तने का 2 फूट ऊंचा कुर्सीनुमा टुकड़ा) रखने का ऑफर दिया।

बापू आश्रम में जमीन पर ही बैठते एवं सोते थे पर उसको देखने के लिए आने वाले के लिए कुर्सी! यह दिमागी दिवालियेपन की निशानी थी। इतना ही नहीं, बापू कुटी परिसर में राष्ट्रपति के लिए विशेष शौचालय बनाया गया। यह सब इतिहास में पहली बार हुआ। पूरे कार्यक्रम से संचालक समिति के सदस्यों को दूर रखा गया।

मेरे राष्ट्रपति को पत्र लिखने से सिर्फ इतना हुआ कि राष्ट्रपति आश्रम के मुख्य द्वार से आये। अन्य सभी मामलों में नरसैया प्रभु ने प्रशासन के सामने समर्पण कर दिया। उनके आराध्य गांधी नहीं, सरकार है। ❑

मानव जीवन को लील रहा प्रदूषण

❑ महादेव विद्रोही

जल प्रदूषण : गंदे नाले जल-प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत हैं। इनका जल सतह से गुजरकर भूजल में भी जहर घोल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक एक लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में प्रतिदिन 16,662 मिलियन लीटर गंदा पानी निकलता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर के अनुसार नदी जल का 70% हिस्सा बड़े पैमाने पर प्रदूषित हो गया है। इस प्रदूषण के कारण पिछले 20 वर्षों में समुद्री जीवों की संख्या में 40% की कमी आयी है।

भारत में प्रतिवर्ष जल जनित रोगों से एक लाख में से 360 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। गुजरात सहित कई राज्यों में भूगर्भ जल सैकड़ों फुट नीचे चला गया है। इतनी गहराई से जल खींचने के कारण उसमें ऐसे कई तत्व आ जाते हैं, जो मनुष्य के साथ-साथ पशुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। शुद्ध जल की उपलब्धता आज देश में बड़ी समस्या बन गई है। इसके कारण पानी का व्यापार बड़े पैमाने पर फलफूल रहा है।

वायु प्रदूषण : अभी पराली जलाने और उससे उत्पन्न प्रदूषण से दिल्ली की हवा के प्रदूषण की चर्चा जोरों पर है। इस प्रदूषण का सारा ठीकरा किसानों पर फोड़ा जा रहा है। क्या पराली पहली बार जलायी जा रही है? मैं मानता हूं कि इसके लिए कृषि का अंधाधुंध मशीनीकरण जिम्मेवार है। पहले धान हाथ से काटे जाते थे। इससे खेत में पराली नहीं बचती थी। एक-डेढ़ इंच की पराली बच जाती थी, वह खेत की जुताई के साथ समाप्त हो जाती थी। अब कम्बाइन हार्वेस्टर मशीनों द्वारा धान की कटाई होती है। इसमें काफी लम्बी पराली खेतों में रह जाती है। किसानों के लिए इसे निकालना मंहगा काम है, इसलिए वे इसे जलाते हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस सभ्यता को शैतानी सभ्यता बताते हुए हमें चेताया था। पर हमें लगा कि गांधी की बात दकियानूसी तथा आधुनिकता के खिलाफ है और हम उसी शैतानी सभ्यता की गोद में जाकर बैठ गये। बापू सिलाई मशीन के समर्थक थे पर ऐसी मशीनों के विरोधी थे, जो मनुष्य को गुलाम बनाती हैं। यदि हम अब भी नहीं चेते तो परिणाम और भी गंभीर होते जायेंगे। आज भारत में जितने प्रकार के प्रदूषण हैं, उन्हें सिर्फ पराली जलाने पर रोक लगाकर खत्म नहीं किया जा सकता है। भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषण उद्योगों से फैलता है। पर उस पर कोई लगाम नहीं है और वह बेतहाशा बढ़ता जा रहा है।

पराली के धुओं से भी खतरनाक होता है उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण। क्योंकि इसमें ईंधन के रूप में पेटकोक का इस्तेमाल होता है। यह डीजल के मुकाबले 65 हजार गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। इसीलिए इसे दुनिया भर में डर्टी फ्यूल कहा जाता है। अमेरिका से लेकर चीन तक इस पर प्रतिबंध है, पर 2018 तक भारत दुनिया के 45 देशों से सिर्फ इसे आयात ही नहीं करता था, बल्कि इस पर टैक्स के साथ-साथ जीएसटी रीफंड भी हासिल था। अब सरकार की नींद खुली है और इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है।

स्वास्थ्य संगठन के 2018 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के सर्वाधिक 20 प्रदूषित शहरों की सूची में 15 शहर भारत के हैं। इन शहरों में परटिक्युलेट मैटर (पीएम 2.5) की मात्रा इस प्रकार है –

1. गुरुग्राम (135.8), 2. गाजियाबाद (135.2), 3. फरीदाबाद (129.1), 4. भिवंडी (125.4), 5. नोएडा (123.6), 6. पटना (119.7), 7. लखनऊ (115.7), 8. दिल्ली (113.7), 9. जोधपुर (113.4), 10. मुजफ्फरपुर (110.3), 11. वाराणसी (105.3), 12. मुरादाबाद (104.9), 13. आगरा (104.8), 14. गया (96.6), 15. जींद (91.6)

दुनिया में प्रदूषण के कारण मृत्यु के मामले में भारत का क्रम तीसरा है। एक अंदाज के मुताबिक 2016 में प्रदूषण के कारण भारत में 9 लाख लोगों की मौत हुई है। नवम्बर 2019 में दिल्ली दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बन गया है। पिछले एक दशक में भारत का सकल घरेलू उत्पादन 2.5 प्रतिशत बढ़ा है। जबकि भारत में वाहनों से होने वाला प्रदूषण 4 गुना बढ़ा है।

औद्योगिक प्रदूषण : औद्योगिक कचरों के कारण जलस्त्रोतों के प्रदूषण की बात अब आम हो चली है। रासायनिक प्रदूषण का पूरे देश में तेजी से अनुभव किया जा रहा है। गैर औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कैंसर, त्वचा की विभिन्न बीमारियां, जन्मजात विकृतियां, अनुवांशिक असमानता लगातार बढ़ रही है। इसके कारण सांस की तकलीफें, पाचन, रक्तस्त्राव, संक्रमण आदि बीमारियां चौगुना बढ़ गयी हैं। भारत सरकार के नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के सर्वेक्षण के अनुसार 1970 के दशक के साथ ही भारत के शांत मैदानों, झरनों, झीलों आदि का परिदृश्य बदल गया है।

ध्वनि प्रदूषण : हमारे देश में विभिन्न अवसरों पर की जाने वाली आतिशबाजी ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्त्रोत है। इन आतिशबाजियों से वायु प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही ध्वनि तरंगों की तीव्रता इतनी अधिक होता है कि वह ध्वनि प्रदूषण की समस्या को जन्म देती है। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई को डेसीबल कहते हैं। नीचे दी गयी तालिका में विभिन्न स्त्रोतों से निकलने वाली ध्वनि के स्तर को दर्शाया गया है -

स्त्रोत	ध्वनि स्तर (डेसिबल में)
श्वसन	10
पत्तियों की सरसहाहट	10
फुसफुसाहट	20-30
पुस्तकालय	40
शांत भोजनालय	50
सामान्य वार्तालाप	55-60
तेज वर्षा	55-60
घरेलू बहस	55-60
स्वचालित वाहन/घरेलू मशीनें	90
बस	85-90
रेलगाड़ी की सीटी	110
तेज स्टीरियो	100-115
ध्वनि विस्तारक	150
सायरन	150
व्यावसायिक वायुयान	120-140
राकेट इंजन	180-195

शेष पृष्ठ 11 पर

व्हाट्सएप्प जासूसी

निजता में सेंध लगाती कंपनियां और सरकारें

❑ बेलू जॉर्ज

लेखक जार्ज ऑरवेल ने अपने उपन्यास '1984' में समाज पर नजर रखने की जिस तकनीक का जिक्र किया है, आज उससे कई गुना शक्तिशाली, प्रभावी और व्यापक तकनीक की मार्फत सत्ता और पूंजीपति हमारे आम जीवन पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑरवेल ने वामपंथी सत्ताधारियों को खलनायक बनाया था और आज के दौर में पूंजीवादी, दक्षिणपंथी सत्ता के हाथ में इसकी कमान है। हाल में 'व्हासट्सएप्प' में एक साफ्टवेयर लगाकर की जा रही महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी इसकी एक बानगी है। प्रस्तुत है, इस मसले की पड़ताल करता बेलू जॉर्ज का यह लेख। बेलू जॉर्ज अभिभाषक हैं और महिलाओं, बच्चों एवं शहरी गरीबों के मुद्दों पर कार्य करती हैं।

-संपा.

समाज में व्यक्ति की शख्सियत सर्वोपरि और परिवार, समाज व राज्य से अधिक है। नैसर्गिक रूप से उसकी अपनी एक राजनैतिक सत्ता है, जिसे वह राज्य और समाज की सदस्यता के लिए, आंशिक रूप से समर्पित करता है। समाज और राज्य 'व्यक्ति से' और 'व्यक्ति के लिए' हैं तथा व्यक्ति की निजता एवं उसकी खास पहचान पर समाज व राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। फलस्वरूप, व्यक्ति अपने अंतर्मन और शरीर से संबंधित मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। उसे एकान्त और गोपनीयता के साथ आत्मनिर्णय और अभिव्यक्ति का अधिकार है। सुप्रीमकोर्ट ने एक प्रकरण में कहा है कि 'निजता मनुष्य की प्रकृति का एक स्वाभाविक पहलू है। यह जीवन के अधिकार, देह की स्वतंत्रता और व्यक्ति मात्र की प्रतिष्ठा का अंतर्भूत अंग है और इसीलिए अपरिहार्य और अविच्छेद भी है।' इसके बावजूद सरकारें, समाज और निजी कंपनियाँ व्यक्ति की निजता पर आतंकवाद,राष्ट्रीय-सुरक्षा अथवा अपराध-नियंत्रण के नाम पर अंकुश लगा देती हैं।

भारत के करीब 40 करोड़ व्हाट्सएप्प उपयोगकर्ताओं की निजता को प्रभावित करने वाला व्हाट्सएप्प जासूसी मामला भी कुछ इसी प्रकार के नियंत्रण का परिणाम है। इसराइल की निजी कंपनी एनएसओ आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर व्यक्तिगत डाटा एन्क्रिप्शन का कारोबार चलाती है। इसी कम्पनी द्वारा बनाया गया 'पिगासुस जासूसी सॉफ्टवेयर' बड़ी आसानी और बिना किसी हलचल के लक्षित व्यक्ति के मोबाइल से उसकी निजी जानकारी पर कब्जा कर लेता है। 'पिगासुस' न सिर्फ व्यक्ति के संपर्क, फोन नंबर, पासवर्ड, फोटो, वीडियो इत्यादि को छलपूर्वक हासिल करता है, बल्कि उसके मोबाइल में एक गुप्त माइक्रोफोन और कैमरा भी स्थापित कर देता है, जिससे व्यक्ति के जीवन की हलचलों पर चैबीसों घंटे का पहरा लग जाता है। एनएसओ कंपनी अपना यह 'पिगासुस कोड' सरकारों को बेचती है। हाल में दुनिया भर के 1400 लोगों की व्हाट्सएप्प द्वारा यह जासूसी की गयी, जिसमें कई भारतीय भी शामिल हैं। अभी तक ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, पाकिस्तान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड और भारत समेत कई देशों में 'पिगासुस' अनाधिकृत रूप से लोगों के मोबाइल फोन में घर कर चुका है। एनएसओ कंपनी के 'पिगासुस कोड' की इस जासूसी से व्यक्ति की निजता को लेकर कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या व्यक्तिगत डाटा एन्क्रिप्शन के नियंत्रण को लेकर सरकारों और निजी कंपनियों पर भरोसा किया जा सकता है? क्या आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर प्रशासन और कानून की रक्षा करने वाली एजेंसियों के पास नियत्रंण की इतनी विस्तृत शक्तियां सौंपी जा सकती हैं, जो संपूर्ण जन-मानस की निजता पर हावी होने की ताकत रखती हों?

साइबर व मोबाइल आधारित अत्याधुनिक यंत्रों के अपराध तंत्र से निपटने के लिए, निजता पर 'उचित प्रतिबंध' के सिद्धांत का हवाला देकर सरकारी जाँच एजेंसियाँ देश के कानून के तहत व्यक्ति के निजी-जीवन की निगरानी करने का विशेषाधिकार हासिल कर लेती हैं। आतंक और साइबर-खतरे से निपटने के लिए जाँच-एजेंसियों को लोगों के व्यक्तिगत डेटा बेस, फोन नंबर्स, ईमेल का इस्तेमाल करने की इजाजत इसी शर्त पर दी जाती है कि वे सर्विलांस हेतु पड़ताल-सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल केवल किसी अपराध की विवेचना में साक्ष्य एकत्र करने के लिए अथवा किसी विदेशी टारगेट का पता लगाने के लिए ही कर सकेंगे। इस तरह की प्रत्येक जाँच-पड़ताल करने से पहले मजिस्ट्रेट से आज्ञा ली जाएगी, ताकि विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन हो सके।

सामान्यतः यह अनुभव रहा है कि कानूनी एहतियात के बावजूद जाँच एजेंसियां बेलगाम हो जाती हैं और इस विशेषाधिकार का इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए करने लगती हैं। अमेरिका में 'कार्यक्रम-702' के तहत एफबीआई द्वारा इस सर्विलांस-सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के लोगों की निगरानी करने में किया गया। अदालत ने भी माना कि विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन करने के अपने आश्वासन के बावजूद जांच एजेंसी बेलगाम हो गयी, जिससे कई व्यक्तियों के निजता के अधिकार का हनन हुआ। बिना किसी वजह के अनधिकृत रूप से लोगों के व्यक्तिगत डाटा का इस्तेमाल किया जाना दरअसल असंवैधानिक है और अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स (अमेरिकी अधिकार विधेयक-1789) का हनन है।

इसी प्रकार 'एप्पल-एफबीआई एन्क्रिप्शन विवाद' के अंतर्गत 2015-16 के सेन-बर्नार्डिनो मामले में अमेरिका के जिला न्यायालय ने एप्पल फोन कंपनी को आदेश दिये थे कि आपराधिक विवेचनाओं हेतु वह 'एप्पल-आईफोन' से अभियुक्त के गोपनीय डाटा-बेस, जैसे पते, फोन नंबर, फोटो व कॉल-डिटेल्स निकालने के लिए 'पास-कोड' खोलकर अभियोजन की मदद करे। अदालत ने कंपनी को यह निर्देश भी दिए कि वह एक ऐसा विशेष-ऑपरेटिंग सिस्टम ईजाद करे, जो मोबाइल फोन को अभेद्य बनाने वाले 'सिक्यूरिटी-फीचर' को ही नाकाम कर दे। जाहिर है, एप्पल कंपनी ने भी इस आदेश को असंवैधानिक और गैर-कानूनी करार देकर, इसका पालन करने से मना कर दिया। अपने बचाव में कंपनी ने इस बात की ओर इशारा किया कि ऐसा कोई भी कदम आगे के लिए एक गलत नजीर कायम करेगा। 'इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी और इंफार्मेशन सेन्टर' ने भी आगाह किया कि फोन के सिक्यूरिटी फीचर्स से छेड़छाड़ करने वाला नया ऑपरेटिंग सिस्टम सैकड़ों व्यक्तियों की निजता को खतरे में डाल सकता है।

दरअसल, अपराध-नियंत्रण और राष्ट्रीय-सुरक्षा के नाम पर दिया गया ऐसा आदेश निजता की अवधारणा के ही खिलाफ है। यह मौलिक अधिकारों पर लगाए गए 'उचित प्रतिबंध' यानि 'रीजनेबल-रिस्ट्रिक्शन्स' का अतिवाद है, जो आतंकवाद से निपटने के बहाने 'निजता के अधिकार' के सारतत्व को ही समाप्त कर देता है। यह एक प्रकार का व्यापार है, जो लोगों से सुरक्षा की एवज में अपनी निजता समर्पित करने की मांग करता है। मनमाने ढंग से खरीदे-बेचे जा रहे एनक्रिप्शन के अधिकार, 'उचित-प्रतिबंध' यानि 'रीजनेबल-रिस्ट्रिक्शन्स' की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। व्यक्ति की निजता पर की जाने वाली यह जासूसी हर तरह से निरंकुश व स्वेछाचारी है, जिसकी अनुमति कोई भी विधान नहीं दे सकता।

भारत सरकार ने एनएसओ से 'पिगासुस कोड' खरीदने की बात को न तो स्वीकार किया है और न ही अस्वीकार, किंतु प्रासंगिक तथ्य है कि वे सभी मानव-अधिकार कार्यकर्ता, वकील और पत्रकार, जिन्हें 'पिगासुस' जासूसी द्वारा निशाना बनाया गया है, विवादित मुद्दों पर सरकार से भिन्न राय रखने वाले व्यक्ति हैं। इन चुनिदा लोगों की जासूसी करवाने में सरकारी इरादे की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। एक निजी कंपनी द्वारा सरकारों की रोक-टोक के बिना बनाए और बेचे जा रहे 'पिगासुस' जैसे सॉफ्टवेयर न केवल व्यक्तियों, बल्कि राजनीतिज्ञों, अधिकारियों और सेना के अफसरों की भी जासूसी कर सकते हैं, जिससे देश की नब्ज किसी भी पल, विदेशी ताकतों और निजी कंपनियों के हाथों में सौंपी जा सकती है। इससे न सिर्फ देश की आम जनता की निजता का हनन होता है, वरन देश की सुरक्षा व्यवस्था भी खतरे में पड़ सकती है।

जीवन, अभिव्यक्ति और निजता पर लगाए जाने वाले प्रत्येक उचित या अनुचित प्रतिबंध, व्यक्ति की शख्सियत को गौण कर देते हैं। निजता पर बढ़ते आघात के मद्देनजर यह जरूरी है कि सरकारों और निजी कंपनियों को दी गयी डाटा-एन्क्रिप्शन की शक्तियों पर अंकुश लगाया जाये। एक ओर आतंकवाद, राष्ट्रीय-सुरक्षा और अपराध नियंत्रण की दलीलें व्यक्ति की निजता के अधिकार को सीमित कर रही हैं, वहीं न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ हमें याद दिलाते हैं कि 'निजता के आयाम का विस्तार संविधान से भी परे है। यह मानव मात्र में अन्तर्निहित है, जो नैसर्गिक रूप से उसमें विद्यमान है। संविधान इसे मात्र मान्य करता है, प्रदत्त नहीं।' व्यक्ति की निजता के समक्ष खड़ी इस चुनौती से निपटने के लिए मौलिक अधिकारों पर लगाए जाने वाले उचित प्रतिबंधों की पसरती फेहरिस्त पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इस हेतु, जैसा कि वकील गौतम भाटिया ताकीद करते हैं, संवैधानिक व्याख्या, विस्तृत और दूरदर्शिता पूर्ण होनी चाहिए, ताकि हमारे विधान आम-जनता की अकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करें।

(सप्रेस)

श्रद्धांजलि

बनवारीलाल गौड़

देश के प्रमुख रचनात्मक कार्यकर्ता बनवारीलाल गौड़ का 17 अक्टूबर 2019 को 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी श्री ठक्कर बापा द्वारा स्थापित भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के पिछले 10 वर्षों से अध्यक्ष थे। उनका जन्म राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के दूरस्थ गांव वामनियावास में हुआ था। वे आदिवासी क्षेत्र के जिलों में आचार्य विनोबा भावे की भूदान यात्रा के संयोजक रहे और जिलों में भूदान कार्यक्रम का संयोजन किया।

उन्होंने पूरा जीवन रचनात्मक कार्य के लिए समर्पित किया। वे राजस्थान की अनेक खादी संस्थाओं के मार्गदर्शक थे। वे राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष, खादी ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य होने के साथ-साथ देश में गांधी विचार की प्रमुख संस्थाओं से जुड़े रहे।

अब्दुल जब्बार

भोपाल गैस पीड़ितों की आवाज बनने वाले अब्दुल जब्बार का 14 नवंबर 2019 को निधन हो गया। वे लम्बे समय से बीमार थे। उनका पिछले कुछ महीनों से इलाज चल रहा था। वे भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के संयोजक थे। यह संगठन लगभग तीन दशक से भोपाल गैस कांड में जीवित बचे लोगों के हित में काम कर रहा है।

भोपाल की तबाही ऐसी थी कि हवा जिस ओर भी बहती थी, लोगों की मौत होती चली जाती थी। कुछ ही घंटों में वहां तीन हजार लोगों की मौत हो गई। लोगों का मानना है कि कुल 10 हजार के करीब लोग मारे गए थे। इस त्रासदी का प्रभाव अब भी देखा जा सकता है। इस विभीषिका के बाद अब्दुल जब्बार आगे आए और पीड़ितों की आवाज बने। अपने संगठन के माध्यम से वह पीड़ितों के परिवारों की मदद करते थे और उनकी बात को सरकार तक पहुंचाने का भी काम करते थे।

इन दोनों दिवंगतों को सर्व सेवा संघ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

व्हाट्सऐप जासूसी कांड देश की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है

❑ संतोष भारतीय

व्हाट्सऐप जासूसी कांड में आज तक दुनिया में कुल 144 लोगों की जासूसी हुई, जिसमें हिन्दुस्तान के 27 लोग हैं। पत्रकारों में दो या तीन नाम शामिल हैं, जिसमें भारत से मेरा नाम है। कहानी यूं है कि 28 अक्टूबर को रात के करीब पौने नौ बजे मेरे पास एक फोन आया। अनजान नंबर देखकर मैंने फोन रिसीव नहीं किया। उसके 15 मिनट बाद एक व्हाट्सअप मैसेज आया—Hi Santosh। मैंने जवाब में लिखा, हू इज़ दिस। इसके बाद एक लंबा मैसेज आया। भेजने वाले का नाम था जॉन स्कॉट रैल्टन। यह कनैडियन नाम है और यह कॉल भी शायद कनाडा से ही आयी थी। मेरे पास वह नंबर सेव है। उनका जो लंबा मैसेज आया, उसमें लिखा था कि आप शायद बहुत परेशान हैं, आपका फोन कई बार हैक हो चुका है और हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप मुझे यह बताइये कि कब आपको फोन करूं या फिर आप ही हमें फोन कीजिए। इसके बाद उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया। यह मैसेज पढ़कर मैं थोड़ा चिन्तित हुआ। अगले दिन सुबह एक अंग्रेजी अखबार की एक विशेष संवाददाता का फोन आया और उसके पहले एक ऑनलाइन पोर्टल की एडीटर का फोन आया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की जासूसी की जा रही है, उस सूची में आपका भी नाम है। अब मैंने तलाशना शुरू किया तो पता चला कि इसराइल की एक कंपनी है, जो रजिस्टर्ड तो इसराइल में हुई है लेकिन उसका मालिक अमेरिकन या यूरोपियन हो सकता है। उसने एक कंपनी बनायी है, NSO उसका नाम है। मैं परेशान हुआ कि यह कहानी सिटिजन्स लैब कैसे पहुंची, जहां से मुझे फोन आया था। इस कंपनी और इस लैब का क्या रिश्ता है। मैं इस उलझन से गुजर ही रहा था कि तब तक पूरी दुनिया में इसका शोर मच गया। हुआ यूं कि जब मैंने सिटिजन्स लैब के मिस्टर रैल्टन से बात नहीं की तो उन लोगों ने बात फैलानी शुरू कर दी। हमारे अखबारों और चैनलों में भी यह चर्चा शुरू हो गयी कि मैंने एफआईआर क्यों नहीं करायी। एक अंग्रेजी चैनल से बातचीत करते हुए मैंने सवाल पूछा कि NSO कंपनी कह रही है कि उसने एक पैगेसस नाम का साफ्टवेयर बनाया है और इसे वह केवल सरकारों को बेचती है। चीन, अमेरिका, इंग्लैंड आदि सरकारों को उसने ये साफ्टवेयर बेचा है, यह कंपनी का कहना है। मैंने केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और भारत सरकार से यह पूछा कि आप बताइये आपने यह साफ्टवेयर खरीदा है कि नहीं। व्हाट्सऐप ने हमें इस संबंध में मेल भी भेजा था। मेरी उलझन यह थी कि आखिर भारत सरकार किसी तीसरे देश से साफ्टवेयर क्यों खरीदेगी, जबकि उसके पास अपनी 36 से अधिक खुफिया एजेंसियां हैं। तमाम ऑनलाइन ऐप्स उनके पास हैं। तब मुझे पता चला कि सरकार अपनी एजेंसियों पर भी भरोसा नहीं कर रही है। इस तरह के एडवांस सॉफ्टवेयर अभी भारत में भी लोग जानते नहीं हैं। तमाम पत्रकार और मीडिया चैनलों के ऐंकर मेरी इस बात से सहमत थे कि अगर सरकार इस प्रकरण में शामिल नहीं है तो उसे तुरंत इस बात से इनकार करना चाहिए। तो आखिर सरकार ने इनकार क्यों नहीं किया? सरकार की तरफ से एक बात यह आयी कि हमने इसे नहीं खरीदा है, बल्कि कुछ प्राइवेट लोगों ने इसे खरीदा है। इस पैगेसस साफ्टवेयर की कीमत 6 हजार करोड़ रुपये हैं। साफ है कि या तो इसे सरकार खरीद सकती है या फिर देश के बड़े उद्योगपति खरीद सकते हैं। इस समय दो ही बड़े उद्योगपति हैं, जो सरकार के इतने करीबी हैं और इतना पैसा फूंक सकते हैं—अंबानी और अडानी। ये नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि खंडन उनका भी नहीं आया। सरकार ने भी अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

सरकार इस मामले में दुविधा में है। वह इस सॉफ्टवेयर की खरीद से सीधे-सीधे इनकार भी नहीं कर पा रही है। ऐसा इसलिए कि अगर वह इनकार कर देगी तो कहीं बड़ा सवाल खड़ा होगा कि सरकार की जानकारी के बगैर फिर इतना खतरनाक सॉफ्टवेयर देश में आया कैसे? क्योंकि यह न केवल देशद्रोह का, बल्कि उससे भी आगे आतंकवाद का मामला है। यानी देश की सुरक्षा सही हाथों में नहीं है। इसका मतलब देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो बिना सरकार की मर्जी के भी देश में ऐसे सॉफ्टवेयर ला सकते हैं, जो पूरे सिस्टम को हैक कर सकता है। इसलिए दूसरी बहस शुरू होने का खतरा भांपकर सरकार इससे इनकार भी नहीं कर पा रही है। आप याद कीजिए, बीते वर्षों में देश में आतंकवाद की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उनकी तह तक नहीं जाया गया। उरी, पठानकोट से लेकर पुलवामा तक की घटनाओं पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। ऐसे में शक गहराता ही जाता है।

अब सवाल यह है कि देश के एक से एक बड़े पत्रकार हैं, जो रोज टीवी चैनलों पर इतिहास भूगोल और भविष्य की घोषणाएं करते फिरते हैं। वे बताते हैं कि सरकार ने ऐसा कर दिया, सरकार वैसा करने वाली है। आखिर इतने बड़े जानकारों की जासूसी क्यों नहीं करायी गयी? सवाल यह भी है कि किनकी जासूसी करानी है, यह लिस्ट किसने बनायी। ऐसे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं आया है। बल्कि मुझे यह सलाह दी गयी है कि यह सब व्हाट्सऐप वालों की कारगुजारी है। आपको उनके खिलाफ एफआईआर करानी चाहिए। अब एफआईआर कराना कितना मुश्किल काम हो गया है, यह कौन नहीं जानता! इसलिए मैं इस पचड़े में नहीं पड़ा। लेकिन मेरे एक वकील मित्र ने सलाह दी कि एफआईआर करा दो वरना कल को बैंक एकाउंट भी हैक हो सकता है, तब कोई सुनवाई भी नहीं होगी। इसके बाद मैंने ऑनलाइन एफआईआर करने का तय किया है। एक दो दिन में करा दूंगा। इस मामले के सारे सबूत अखबारों में छपे हैं और मीडिया चैनलों की बाइट्स में भी मौजूद हैं।

कल मेरे पास न्यूयार्क टाइम्स से एक फोन आया कि आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपने देश के चार प्रधानमंत्रियों वीपी सिंह, चन्द्रशेखर, गुजराल और देवेगौड़ा के साथ काम किया है। पूरी दुनिया में आपका फोन हैक होने की खबर हलचल मचा रही है। क्या पहले भी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मैंने कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ और होता भी क्यूं? मेरा जीवन और काम पूरी तरह पारदर्शी और सार्वजनिक रहा है। मैंने यह भी कहा कि केवल भूतपूर्व प्रधानमंत्री ही नहीं, मेरे नाम और चेहरे से तो वर्तमान प्रधानमंत्री भी परिचित हैं, देश के रक्षामंत्री भी परिचित हैं। गृहमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मुझे जानते हैं। अगर इन सबको लगता है कि मैं किसी ऐसे काम में लगा हूं, जो देशहित में नहीं है, तो ये लोग भी जिस शाख से आते हैं, मैं कह सकता हूं कि ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि यह मेरे साथ पहली बार हुआ है। आज अगर मेरा नाम जासूसी की लिस्ट में है, तो एक बात और कह सकता हूं कि इस सरकार के भीतर भी एक सरकार चल रही है, जिसका पता इन चारों को नहीं है। इस सरकार के भीतर कुछ ऐसे लोग जरूर हैं, जो इन चारों की जानकारी के बिना मनमर्जियां कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर जासूसी के लिए मेरा नाम इन चारों की जानकारी में आता तो ये लोग उसे अनुमति नहीं देते।

अब सवाल यह भी है कि क्या देश से वैचारिक स्वतंत्रता समाप्त हो गयी है? कमजोर वंचित और बेसहारों की आवाज उठाना गलत है? क्या हम कश्मीर के बारे में नहीं बोल सकते? कमजोर होती अर्थव्यवस्था पर क्या हमें बात नहीं करनी चाहिए? हम टीवी चैनलों की बात नहीं कर रहे हैं। इनका हाल तो यह है कि ये सत्ता के चारण बन चुके हैं। सरकारों की नीतियों पर सवाल उठाने का साहस ही इनमें नहीं बचा है। ये लोग तो ये सब देखना भी नहीं चाहते। असल में ये लोग राजनीतिक निरक्षरता के शिकार हैं। राजनीतिक तौर पर पूरी तरह अशिक्षित जमात है यह। वरना पत्रकार का तो काम ही होता है कि वह सरकार जो करती है, उसे लोगों तक पहुंचाये और लोगों पर उसका क्या असर पड़ रहा है, उसे सरकार तक पहुंचाये। यह पत्रकार का बुनियादी काम है। पत्रकार का दूसरा बुनियादी काम यह है कि उसे हर हाल में कमजोर और वंचित की तरफ खड़े होकर चीजों को देखने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए। क्योंकि ज्यादातर सत्ता से जुड़े लोग, ताकतवर लोग, श्रेष्ठि वर्ग ही कानूनों का दुरुपयोग करके लाभ उठाता देखा जाता है। पत्रकार को कमजोर की तरफ से सोचना और इनवेस्टिगेशन करना चाहिए। हमारा भी नागरिक कर्तव्य है कि देश के मुद्दों पर निर्भय होकर चर्चा करें और अपनी राय से सत्तातंत्र को अवगत करायें। हमारी सरकार ने इस सॉफ्टवेयर की खरीद से इनकार या स्वीकार नहीं किया है। संभव है कि यह किसी आतंकी समूह ने खरीदा हो और वे लोग एन्ड्रोयड (स्मार्ट फोन) के डाटा हैक कर रहे हों। अब यही फोन प्रधानमंत्री और उनके मंत्री भी इस्तेमाल करते हैं, तो खतरा हमारे आकलन से कहीं बड़ा भी हो सकता है। एक बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी कुछ समय पहले हमारी सेना ने एक एडवाइजरी जारी करके कहा था कि सेना का कोई अफसर या सैनिक स्मार्ट फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन उसका भी कोई मतलब नहीं निकला। आज भी हमारे हर सैन्य अधिकारी और सैनिक के पास स्मार्टफोन है, बल्कि चाइनीज स्मार्टफोन है। अब हमारी सारी जानकारी चीन के पास जा रही है। चीन के जरिये पाकिस्तान के पास जा रही है। अमेरिका के पास जा रही है। ये जो पैगेसिस का केस हुआ है, इस पर सरकार को जागना चाहिए कि ये सब कहां से कौन कर रहा है। चाइनीज स्मार्टफोन के जरिये हमारी सारी जानकारियां हमारे दुश्मनों तक पहुंच रही है। सरकार को इस बात पर सजग होना चाहिए। ❑

मानव जीवन को लील रहा प्रदूषण

पृष्ठ 7 का शेष

सन 1950 में भारत में वाहनों की कुल संख्या 30 लाख थी, जिसमें 27 हजार दोपहिया वाहन, 1 लाख 59 हजार कार, जीप और टैक्सी, 82 हजार ट्रक और 34 हजार बसें थीं। अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक भारत में 3 करोड़ से अधिक वाहनों का उत्पादन हुआ। आज सिर्फ दिल्ली में पंजीकृत वाहनों की संख्या 1 करोड़ 5 लाख 67 हजार 712 हो गयी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में हर साल 4 लाख से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन होता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार निद्रावस्था में आसपास के वातावरण में 35 डेसीबल और दिन के समय 45 डेसीबल से अधिक शोर नहीं होना चाहिए।

23 मार्च 2011 को विभिन्न नगरों में ध्वनि प्रदूषण का स्तर इस प्रकार था—

क्षेत्र (आवासीय)	**ध्वनि प्रदूषण (डेसीबल में)**
मुंबई	129
दिल्ली	90.6
हैदराबाद	90.3
चेन्नई	86.6
लखनऊ	86.1
कोलकाता	80.7
बंगलोर	75.5
मानक सीमा	45-45

ध्वनि प्रदूषण के स्वीकृत स्तर

क्षेत्र	दिन (प्रातः से रात्रि 9 बजे तक)	रात्रि (रात्रि 9 से सुबह 6 बजे तक)
औद्योगिक क्षेत्र	75	70
व्यावसायिक क्षेत्र	65	55
आवासीय क्षेत्र	55	45
शांत क्षेत्र	50	40

भारतीय मानक संस्थान द्वारा स्वीकृत ध्वनि स्तर

क-आवासीय क्षेत्रों में स्वीकृत बाह्य ध्वनि स्तर—

क्षेत्र	ध्वनि स्तर (डेसीबल में)
ग्रामीण	25-35
उपनगरीय	30-40
नगरीय (आवासीय	35-40
नगरीय (आवासीय व व्यावसायिक	40-45
नगरीय (सामान्य)	45-55
औद्योगिक क्षेत्र	50-60

ख-विभिन्न भवनों में स्वीकृत आंतरिक ध्वनि स्तर—

भवन	**ध्वनि स्तर**
रेडियो तथा टेलीविजन स्टूडियो	25-35
संगीत कक्ष	30-35
ऑडिटोरियम, होस्टल, सम्मेलन कक्ष	35-40
कोर्ट, निजी कार्यालय/पुस्तकालय	40-45
सार्वजनिक कार्यालय, बैंक तथा स्टोर	45-50
रेस्टोरेन्ट्स	50-55

❑

गतांक से आगे...

सावरकर को भारत रत्न देना आजादी के नायकों का अपमान है

❑ सुभाष गाताड़े

सावरकर को सम्मानित करने के मुद्दे पर वापस आते हुए, इस बात पर और ज़ोर देने की आवश्यकता है कि उनके व्यक्तित्व के कई अन्य विवादास्पद पहलू भी हैं, जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है. उदाहरण के लिए, गांधी की हत्या में अहम किरदार के रूप में सावरकर की भूमिका. आप वल्लभभाई पटेल को याद करें, जिन्होंने 27 फरवरी 1948 को नेहरू को इसके बारे में लिखा था—'मैंने बापू की हत्या के मामले की जांच की प्रगति के साथ खुद को लगभग दैनिक संपर्क में रखा है.' उनका निष्कर्ष था कि 'यह कुकर्म सीधे सावरकर के अधीन हिंदू महासभा के कट्टरपंथी धड़े का है, जिसने यह साज़िश रची और इसे अंजाम तक पहुंचाया.' ध्यान रहे कि **इस पूरी साजिश में सावरकर की भूमिका पर बाद में विधिवत रोशनी पड़ी, भले ही गांधी हत्या को लेकर चले मुकदमे में उन्हें सबूतों के अभाव में तकनीकी आधार पर छोड़ दिया गया था. गांधी हत्या के सोलह साल बाद पुणे में इस हत्या में शामिल लोगों की रिहाई की खुशी मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. 12 नवंबर 1964 को आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल कुछ वक्ताओं ने कहा कि उन्हें इस हत्या की पहले से जानकारी थी.** अख़बार में इस ख़बर के प्रकाशित होने पर जबरदस्त हंगामा मचा और फिर 29 सांसदों के आग्रह तथा जनमत के दबाव के मद्देनज़र तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री गुलजारीलाल नंदा ने सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जीवनलाल कपूर की अध्यक्षता में कमीशन ऑफ एन्क्वायरी एक्ट के तहत एक कमीशन गठित किया. कपूर आयोग ने हत्या में सावरकर की भूमिका पर नए सिरे से निगाह डाली. अगर हम उपरोक्त रिपोर्ट को पलटें, तो इसके बारे में कई तथ्य दिखाई देते हैं. मिसाल के तौर पर हर आम एवं खास मौके पर सावरकर के साथ मौजूद रहते थे गांधी के हत्यारे आप्टे और गोडसे। वीडी सावरकर के निजी सुरक्षाकर्मी अप्पा रामचंद्र कासर का 4 मार्च 1948 को दर्ज किया गया बयान यह दिखाता है कि 1946 में आप्टे और गोडसे (दोनों गांधी की हत्या के दोषी) सावरकर के घर अक्सर जाने वालों में शामिल थे और करकरे (गांधी की हत्या का दोषी) भी कभी-कभी जाता था. जब देश के विभाजन की चर्चा चल रही थी तो ये तीनों सावरकर से मिलने जाया करते थे और उनसे विभाजन के मसले पर विचार-विमर्श करते थे. **सावरकर आप्टे और गोडसे को बताते थे कि कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, वह हिंदू हितों के खिलाफ है. और उन्हें 'अग्रणी' के जरिये कांग्रेस, महात्मा गांधी और उनकी अधिनायकवादी नीतियों के खिलाफ प्रचार संचालित करना चाहिए. (अग्रणी वह अखबार था, जिससे ये सब जुड़े हुए थे. बाद में इसे सावरकर ने ही ले लिया था.)** अगस्त की शुरुआत में 5-6 अगस्त को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का दिल्ली में एक कन्वेंशन था. जिसमें भाग लेने के लिए सावरकर, गोडसे और आप्टे हवाई जहाज में बॉम्बे से दिल्ली एक साथ गए थे. कन्वेंशन में कांग्रेस की नीतियों की जमकर आलोचना की गयी थी. 11 अगस्त को सावरकर, गोडसे और आप्टे प्लेन से बॉम्बे एक साथ आये. आयोग के सामने सावरकर के दो सहयोगी अप्पा कासर, उनका बॉडीगार्ड और गजानन विष्णु दामले और उनका सेक्रेटरी भी पेश हुए, जो मूल मुकदमे में बुलाए नहीं गए थे. **कासर ने कपूर आयोग को बताया कि किस तरह हत्या के चंद रोज पहले आतंकी गोडसे एवं दामले सावरकर से आकर मिले थे. विदाई के वक्त सावरकर ने उन्हें एक तरह से आशीर्वाद देते हुए कहा था कि 'यशस्वी होउन या' अर्थात कामयाब होकर लौटो. दामले ने बताया कि उन्होंने गोडसे और आप्टे को सावरकर के यहां जनवरी मध्य में देखा था. न्यायमूर्ति कपूर का निष्कर्ष था कि 'इन तमाम तथ्यों के मद्देनजर यही बात प्रमाणित होती है कि सावरकर एवं उनके समूह ने ही गांधी हत्या को अंजाम दिया।**

जीवन लाल कपूर आयोग के प्रमुख निष्कर्ष

इस आयोग के खंड पांच, अध्याय 21 और पेज 303 के अनुच्छेद 25.105 और 25.106 में दिए गए निष्कर्ष काबिलेगौर हैं। निःस्सन्देह, आयोग इस मसले पर 21 साल बाद गौर कर रहा है, जबकि इस घटना को लेकर पक्ष तथा विपक्ष में मौजूद तमाम तथ्य उसके सामने हैं और जनाब नागरवाला इन्हीं तथ्यों की पड़ताल तथा संग्रहण में जुटे थे और उन्हें तमाम सुरागों के आधार पर काम करना था तथा सूचनाओं के छोटे-छोटे टुकड़ों के आधार पर इस पहेली को सुलझाना था, मगर निम्नलिखित तथ्यों को लेकर आयोग की राय में सही निष्कर्ष यही निकलता है कि वह हत्या का षडयंत्र था न कि अपहरण की साजिश।

इस घटनाक्रम को लेकर सावरकर का उल्लेख और दिल्ली की यात्रा पर निकलने के पहले मदनलाल और करकरे द्वारा सावरकर से की गयी मुलाकात. सिख जैसे दिखने वाले एक मराठा द्वारा हथियारों के एक जखीरे की रखवाली का उल्लेख। इन तमाम तथ्यों के मददेनज़र इस बात से कहीं से इनकार नहीं किया जा सकता कि गांधी हत्या की साजिश सावरकर और उनके समूह ने ही रची। महात्मा गांधी हत्याकांड जांच आयोग की रिपोर्ट 1965-1969 को 1970 में भारत के गृह मंत्रालय ने दो खंडों में प्रकाशित किया।

आज़ादी के बाद नवस्वाधीन भारत देश में समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों के आधार पर एक संविधान को विकसित करने की कोशिश चल रही थी, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की तरह, सावरकर को भी भारत को एक समावेशी और धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्वीकार करने में बहुत कठिनाई हो रही थी, जहां हर नागरिक

को समान अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग, धर्म इत्यादि का हो. यह वह दौर था जब उन्होंने मनुस्मृति के प्रति अपने गहरे लगाव को प्रदर्शित किया. मनुस्मृति हिंदू संहिता की किताब है. सावरकर के विचार का सबसे कम चर्चित पहलू है, बदले की राजनीति की उनकी हिमायत और यहां तक कि हिंदू राष्ट्र के निर्माण की खातिर बलात्कार तक को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रस्तावित एवं प्रचारित करना. ध्यान रहे, उनके बहुचर्चित ग्रंथ 'भारतीय इतिहासातिल सहा सोनेरी पाने (सिक्स गोल्डन एप्रोचेज़ इन इंडियन हिस्ट्री) को उनके नए विश्व दृष्टिकोण के प्रतिनिधि के रूप में माना जा सकता है, जहां वे बड़ी सावधानी से अपने पूर्व के राष्ट्रवादी दर्शन से ध्यान हटाते हैं और अपने हिंदू राष्ट्र के प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं. यह ग्रंथ अकादमिक संदर्भ में इतिहास की किताब नहीं है, बल्कि एक तरह से यह नैतिक दर्शन की किताब है, जो ईश्वर को राष्ट्र से प्रतिस्थापित करती है और उसे नैतिक विमर्श के प्राथमिक संदर्भ बिंदु के तौर पर आगे लाती है. अजीत कर्णिक ने अपनी टिप्पणी 'सावरकर का हिंदुत्व' (इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 12 अप्रैल, 2003) में लिखा है कि किस प्रकार सावरकर ने मुसलमानों से बदला न लेने पर मराठों की आलोचना की है. उनके अनुसार, (उपरोक्त पुस्तक के पृष्ठ 390-391 पर) सावरकर ने मराठों को अब्दाली द्वारा वर्ष 1757 के आसपास किए गए अत्याचारों के जवाब में मुसलमानों से बदला नहीं लेने पर जमकर कोसा है. सावरकर अपने सिद्धांत को बड़े अनुमोदन के साथ प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस और बुल्गारिया ने अतीत में ईसाई धर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यही मार्ग अपनाया था.यह पहलू गौर करने लायक है कि इस बहुचर्चित पुस्तक में **सावरकर ने मुसलमानों के सामूहिक अपराध के सिद्धांत को प्रस्तावित किया. यह इस सिद्धांत को स्थापित करता है कि मुसलमानों को न केवल उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए दंडित करने की जरूरत है, बल्कि उनके सह-धर्मवादियों ने क्या किया है, इसका दंड भी उन्हें मिलना चाहिए. एक तरह से, सावरकर ने खुद को प्रतिशोध, प्रतिकार की भाषा के पितामह के रूप में प्रस्तुत किया है, और वे एक ऐसे मुखर विचारक के रूप में सामने आते हैं, जिनसे व्यापक स्तर पर कट्टरपंथी व्यक्तियों और हिंसक संगठनों को प्रेरणा मिली.** कर्णिक आगे कहते हैं कि सावरकर बिना किसी रुकावट के मराठों की आलोचना में उन पर आरोप मढ़ते हुए कहते हैं कि वे न सिर्फ अब्दाली और उसकी सेना द्वारा हिंदू समुदाय पर अत्याचार का बदला लेने में असफल रहे, बल्कि उन्होंने उन आम मुसलमानों से भी इस अपमान का बदला नहीं लिया जो मथुरा, गोकुल आदि स्थानों में बसे हुए थे. सावरकर के अनुसार, मराठा सेना को इन आम मुसलमानों (सैनिक नहीं) की हत्या कर देनी चाहिए थी, उनकी मस्जिदों को ढहा देना चाहिए था और मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करना चाहिए था. यह बदला पूर्व में किये किसी अत्याचारी से नहीं, बल्कि उनसे लेना था, जिनका पूर्व की घटनाओं से कोई लेना-देना नहीं था, यह बदला उन साधारण नागरिकों से था, जो इन इलाकों में रहते थे और उनका एकमात्र अपराध यह था कि वे उस धर्म से वास्ता रखते थे, जिससे पूर्व में किये गए अत्याचारों वाले आततायी आते थे.

शिवाजी की भी निन्दा की थी सावरकर ने

सावरकर की जिंदगी का सबसे निंदनीय और सबसे कम ज्ञात पहलू है, शिवाजी की निंदा का. जब कल्याण के नवाब की पुत्रवधू को शिवाजी की सेना ने कब्जे में लेकर उनके सामने प्रस्तुत किया था, तब उन्होंने विशाल उदारता का परिचय दिया था. सावरकर ने शिवाजी के इस निर्णय को विकृत गुण (perverted virtue) बताया है. *(भारतीय इतिहासातिल सहा सोनेरी पाने, अध्याय 4 और 5, पृष्ठ 147-174)।*

कहानी यह है कि जब शिवाजी के उत्साही सहायकों में से एक ने नवाब की बहू को उनके सामने पेश किया, तो उसे उम्मीद थी कि उसे इसके बदले में कुछ विशेष उपहार या सम्मान मिलेगा, लेकिन शिवाजी ने न सिर्फ उसे इस तरह के कृत्य के लिए फटकार लगाई, बल्कि उसे दंडित भी किया और पूरे सम्मान के साथ महिला को उनके स्थान पर वापस भेज दिया. आज भी हम गर्व के साथ छत्रपति शिवाजी और चिमाजी अप्पा के उस फैसले का उल्लेख करते हैं, जब उन्होंने सम्मानपूर्वक कल्याण के मुस्लिम नवाब की पुत्रवधू और बसई के पुर्तगाली गवर्नर की पत्नी को वापस भिजवा दिया. जब वे ऐसा कर रहे थे, तो न तो शिवाजी और न ही चिमाजी अप्पा को एक बार भी यह प्रतिशोध भाव आया कि किस प्रकार महमूद गजनी, मुहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे मुस्लिम शासकों ने हजारों हिंदू महिलाओं और बच्चियों के साथ जघन्य अपराध किये थे, बल्कि उन्हें ख्याल रहा कि अपनी धार्मिक मान्यताओं में महिलाओं के प्रति सम्मान की धारणा के चलते मुस्लिम महिलाओं के साथ भी ऐसा कोई गलत व्यवहार वे नहीं कर सकते थे। सावरकर ने शिवाजी के इस कृत्य की आलोचना की है और कहा है कि वे गलत थे, क्योंकि इस प्रकार का सभ्य और मानवीय व्यवहार भी उन कट्टरपंथियों के मन में हिंदू महिलाओं के प्रति सम्मान भाव पैदा नहीं कर सका. यह बात काफी चौंकाने वाली है कि इस प्रकार सावरकर ने हिंदुत्व ब्रिगेड के कट्टरपंथियों को अन्य धर्मों की महिलाओं के साथ असंख्य बलात्कारों के लिए सैद्धांतिक औचित्य और आधार प्रदान किया, जिसका बाद में सांप्रदायिक दंगों/सामूहिक हत्याकांडों में पालन किया जाता रहा.

भारत रत्न की मांग का औचित्य!

जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि वक्त की निहाई पर फिलवक्त सावरकर का नाम सुर्खियों में है और वह बस इसी वजह से है कि उन्हें भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजने की भाजपा की योजना है. **हम सभी के लिए यह सोचने का वक्त है कि क्या ऐसा शख्स, जिसने अपनी युवावस्था के दिनों में निश्चित ही अच्छे काम किए,**

आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहे, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिपादन किया लेकिन जेल जाने के बाद अपने पूरे रुख को बदल दिया, अंग्रेज सरकार के पास माफीनामे भेजे, मोहम्मद अली जिन्ना से दो साल पहले ही धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाने की बात रखी, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिशों की सेना में हिंदू युवाओं की भर्ती का अभियान चलाया, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल एवं उत्तर पश्चिमी प्रांतों में सरकारें चलाईं, भारतीय जनता के दमन में सहयोग दिया और आज़ादी के बाद देश की आज़ादी के अगुआ महात्मा गांधी की हत्या की साजिश का सूत्रसंचालन किया, किसी भी मायने में भारत रत्न का हक़दार होना चाहिए?

सावरकर के लिए भारत रत्न प्रस्तावित करने की इस जारी बहस में इसके साथ एक अन्य अहम पहलू पर अधिक ध्यान नहीं गया है. भाजपा ने अपने घोषणापत्र में सावरकर के साथ साथ महात्मा ज्योतिबा फुले और क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले को भी भारत रत्न से नवाजे जाने का प्रस्ताव रखा है. आप कल्पना करें कि सावरकर, जो दुश्मन की स्त्रियों के साथ अत्याचार की हिमायत करते हैं, उन्हें ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई के साथ जोड़ना उनका कितना बड़ा अपमान है, जिन्होंने 1848 में महिलाओं के लिए खोले अपने पहले स्कूल के जरिये उस सामाजिक विद्रोह का बिगुल फूंका, जिसकी प्रतिक्रियायें 21वीं सदी में भी जोर-शोर से सुनायी दे रही हैं.इतिहास गवाह है कि 1851 तक आते आते महिलाओं, शूद्रों और अतिशूद्रों के लिए उनके द्वारा खोले गए स्कूलों की संख्या पांच तक पहुंची थी, जिसमें एक स्कूल तो सिर्फ दलित महिलाओं के लिए था. जैसे कि उस समय हालात थे और ब्राह्मणों के अलावा अन्य जातियों में पढ़ने लिखने वालों की तादात बेहद सीमित थी, उस समय इस किस्म के धर्म भ्रष्ट करने वाले काम के लिए कोई महिला शिक्षिका कहां से मिल पाती. ज्योतिबा ने बेहतर यही समझा कि अपनी खुद की पत्नी को पढ़ा-लिखाकर तैयार किया जाये और इस तरह 17 साल की सावित्रीबाई पहली महिला शिक्षिका बनीं. फातिमा शेख नामक दूसरी शिक्षित महिला ने भी इस काम में हाथ बंटाया.महात्मा फुले ने अपने काम को महज शिक्षा तक सीमित नहीं रखा. उन्होंने कई सारी किताबों के जरिये ब्राह्मणवाद से उत्पीड़ित जनता को शिक्षित व जागरूक करने की कोशिश की. 'गुलामगिरी' 'किसान का कोड़ा' 'ब्राह्मण की चालबाजी' आदि उनकी चर्चित किताबें हैं.अपने रचनात्मक कामों के अंतर्गत उन्होंने वर्ष 1863 में अपने घर में ही 'बालहत्या प्रतिबंधक गृह' खोला. अपने कार्यों को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने के लिए ज्योतिबा ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की.फुले की दृष्टि की व्यापकता का अंदाज इस बात से भी लग सकता है कि उसकी पहली कार्यकारिणी में हमें हिंदू धर्म की विभिन्न जातियों के अलावा एक यहूदी और एक मुसलमान भी शामिल दिखता है.उन्हीं दिनों अपने दो मित्रों के साथ मिलकर 1873 में 'दीनबंधु' नामक अखबार का प्रकाशन भी उन्होंने शुरू किया. 'स्त्री पुरुष तुलना' की रचयिता ताराबाई शिंदे हों या पुणे के सनातनियों से प्रताड़ित पंडिता रमाबाई हों, दोनों की मजबूत हिफाजत ज्योतिबा ने की.

सावरकर को भारत रत्न प्रस्तावित करके एक साथ न केवल आज़ादी के तमाम कर्णधारों को अपमानित किया जा रहा है, बल्कि भारत में सामाजिक क्रांति के सूत्रधारों को भी साथ साथ लपेटे में लिया जा रहा है.भारत में हिंदुत्व और दक्षिणपंथ की यात्रा को बारीकी से देखने वाले जानकार बता सकते हैं कि किस तरह वह ऐसे तमाम प्रतीकों को, जो उत्पीड़ितों, शोषितों में नए उत्साह का संचार कर सकते हैं, उन्हें हथियाने में आगे रहते हैं. 6 दिसंबर, जिसे दलित-शोषित जनता डॉ. आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के रूप में याद करती रही है, उस दिन हुई बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना, जिसे इन्हीं ताकतों ने सुनियोजित एवं सुचिंतित तरीके से अंजाम दिया था, के बाद अब मामला गड्ड-मड्ड हो गया है.निकट भविष्य में चीजें किस तरह उद्घाटित होती हैं, यह देखना अभी शेष है, लेकिन भाजपा और वृहद हिंदुत्व ब्रिगेड को यह बताना होगा कि भारत के रत्न के रूप में उनकी पसंद और उनकी तड़प भारत की सामाजिक क्रांति के कर्णधारों के प्रति, आज़ादी के ज्ञात-अज्ञात नेताओं की स्मृति के प्रति एक अपमान से कम कैसे नहीं है. भाजपा तथा व्यापक संघ परिवार के दावे जो भी हों, यह प्रस्ताव उनके अभियान के नैतिक खोखलेपन को ही साबित करता है, जो सिर्फ नफरत और बहिष्कार पर आधारित है.

—द वायर

(सुभाष गाताडे सामाजिक कार्यकर्ता एवं लेखक और अनुवादक है.)

गांधीजी को टालकर...

गांधी के बिना मैं भारत नहीं कह सकता
गांधी को छोड़कर
मैं अफ्रीका नहीं कह सकता।
मैं गांधी को छोड़ सत्याग्रह और
स्वतंत्रता की परिभाषा नहीं लिख सकता
मैं अकेला मार्टिन लूथर और
नेल्सन मंडेला की ओर भी
नहीं खिसक सकता
मैं गांधी का नाम लेकर पाकिस्तान में
जा नहीं सकता और भारत में भी
रह नहीं सकता
मुझे गांधी के चुराये हुए चश्मे की नहीं,
बल्कि उनकी खोई हुई दृष्टि की खोज है।
गांधी की घड़ी किसने चुराई
इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं,
मैं इस देश में खोये गांधी के समय की
खोज कर रहा हूं
मैं गांधी के नोट पर होने की
सराहना नहीं करता,
मुझे खेद इस बात का है कि
यह चलन में नहीं है
यहां तक कि, मुझे इस बात से
बिल्कुल
कोई लेना देना नहीं कि
गांधी को किसने और कैसे मारा?
खेद इस बात का है कि
मारने वाले की बंदूक अभी भी जीवित है।

–विद्रोही कवि संतोष पवार

धारावाहिक

महादेवभाई देसाई

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः

❑ गिरिराज किशोर

पहला गिरमिटिया जैसा चर्चित उपन्यास प्रस्तुत कर चुके गिरिराज किशोर ने अब बा पर कलम उठायी है। बा पर कुछ भी लिखना बहुत कठिन था। उनके बारे में उपलब्ध जानकारियां नहीं के बराबर हैं। 'पहला गिरमिटिया' की सामग्री जुटाने में उन्हें कोई दो हजार पुस्तकों से मदद मिली थी। और 'बा' उपन्यास लिखते समय मुश्किल से दो पुस्तकें सामने थीं। वे उन सब लोगों से मिले, जिन्हें कस्तूरबा के बारे में थोड़ी-सी भी जानकारी थी और उन जगहों पर गये, जहां बा ने थोड़ा या बहुत समय बिताया था। इस तरह बनी यह कथा, यह इतिहास बा के अलावा खुद बापू के दो और रूपों को भी सामने रखता है–पति और पिता का रूप। प्रस्तुत है 'बा' का अगला अंश, जो बा-बापू : 150 के अवसर पर क्रमशः प्रकाशित हो रहा है। –सं.

बा और सुशीला 11 अगस्त को आगा खां पैलेस जेल आये थे। 15 अगस्त को बापू और महादेव भाई सवेरे हमेशा की तरह टहलने गये। लौटकर बापू मालिश के लिए कमरे में आ गये। कुछ देर तक सरोजनी नायडू के कमरे से महादेव भाई के हंसने की आवाज आ रही थी। एकाएक आवाज बंद हो गयी। किसी ने पुकारा। सब यही समझे कि आज जेलों के इंस्पेक्टर कर्नल भंडारी का दौरा है, शायद उनसे मिलने के लिए किसी को बुलाया जा रहा हो। इतने में बा स्वयं कमरे में दौड़ी आयी। वह जोर-जोर से कह रही थी, 'सुशीला जल्दी चल, महादेव बेहोश हो गया।'

बापू को भी यह अंदाज नहीं था कि महादेव की तबीयत इतनी खराब होगी। बापू भी आकर महोदव भाई की खाट के पास खड़े हो गये और महादेव महादेव...पुकारने लगे। बा जोर से चिल्लाई, 'महादेव, ओ महादेव...बापू जी आये हैं, तू सुन नहीं रहा...तू तो बापू का नाम लेते ही दौड़ा चला आता था।' जवाब नदारद था। सुशीला रोती जा रही थी और सीने पर मसाज करती जा रही थी। धीरे-धीरे महादेव भाई की सांस मद्धिम पड़ती गयी।

दरअसल जैसे ही कर्नल भंडारी से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े थे, वैसे ही महादेव भाई जमीन पर गिर गये थे। आगा खां पैलेस सन्नाटे में डूब गया था। हर कोई उधर ही जा रहा था, जिधर महादेव भाई का शव रखा था। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जो व्यक्ति पच्चीस वर्ष तक अविचल बापू के साथ विश्वसनीय साथी की तरह घर-बाहर छोड़कर रहा हो, वह एकाएक खामोश हो गया था। बापू और बा की पुकार भी उसे जगाने में असमर्थ थी।

जिस कमरे में महादेव भाई का शव रखा था, उसे फूलों से सजाया गया था। कुछ घंटों तक सबके दर्शनों के लिए रखने के बाद दाह संस्कार के लिए नीचे ले जाया गया। बा भी साथ गयी। वह रो-रोकर बेहाल थी। कमजोरी इतनी थी कि सीढ़ियां उतरने की भी ताकत नहीं थी। सबने समझाया कि इस हालत में नीचे न जायें। वे बोली, 'क्या अपने महादेव को वहां तक पहुंचाने भी न जाऊं, जहां कल मुझे भी जाना है?'

उनकी कुर्सी चिता के पास रख दी गयी। वह पूरे समय हाथ जोड़े बिसूरती रही, 'महादेव तू जहां जाये सुखी रहना। हे भाई, तूने बापू जी और देश की इतनी सेवा की...हम ही तेरे लिए कुछ नहीं कर पाये।' कभी पूछती, 'महादेव! तू क्यों चला गया? मैं क्यों रह गयी?

बापू जैसे पत्थर हो गये थे। वे शायद सोच रहे थे कि जीवन-भर का कैदी, मृत्यु के समय भी कैदी है। पर आजादी की आकांक्षा दिल में थी...जैसे महादेव के बंधन टूटे...देश के भी टूटेंगे। शाम को पांच बजे संस्कार करके लौटे। सब तरफ सन्नाटा था। कौन किसको सान्त्वना देता। समय इतना कम था कि महादेव भाई की पत्नी और बच्चों तक को नहीं बुलाया जा सका था। वीरों का यही जीवन...।

बा के मन में कई बातें चल रही थीं। कभी कहती थी, 'महादेव सच्चा ब्राह्मण था...उसका इस तरह जाना भारी अपशकुन है।'

बापू समझाते थे 'ब्रिटिश सरकार के लिए, हमारे लिए नहीं...हमारे लिए पक्के सत्याग्रही का बलिदान है।'

बा के मन से यह बात निकल नहीं रही थी। एक दिन सुशीला से बोली, 'ब्राह्मण की मृत्यु तो हमारे सिर पर ही हुई ना? बापू ने आजादी की लड़ाई छेड़ी, महादेव उनके साथ जेल आया, यहां उसकी मृत्यु हो गयी। यह पाप तो हमारे सिर ही पड़ा ना?'

सुशीला ने कहा, 'बा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? महादेव भाई देश की आजादी के लिए बापू के साथ थे, देश के लिए बलि चढ़े हैं। उनकी मृत्यु का पाप कैसा? और अगर है भी तो गोरी सरकार पर। वे तो बेकसूर थे, उन्हें नाहक क्यों पकड़ा? बापू ने लड़ाई कब की, वे तो सत्याग्रह कर रहे थे।'

'हां, बात तो सच है। बापू ने लड़ाई आरंभ नहीं की। वे तो आजादी भी शांति से चाहते थे। सरकार ने लोगों को पकड़ा, सजा दी, जेलों में डाला।'

थोड़ी-थोड़ी देर बाद महादेव का ध्यान आता था, वह फिर उस चक्रव्यूह में फंस जाती थी।

बा को उनकी धार्मिक भावना से अलग करना असंभव था। उन्होंने आगा खां पैलेस में तुलसी का बिरवा मंगवाया था। सुशीला लायी थी। हमेशा उसकी पूजा करती थी। मीराबेन ने अपने कमरे में बाल-कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी। बा प्रतिदिन उस पर भी फूल चढ़ाती थी। वह बा का दूसरा मंदिर था। तीसरा मंदिर महादेव भाई का चिता-मंदिर था। जब तक शरीर में शक्ति रही, बापू के साथ उसकी परिक्रमा करने जाती थी। नमस्कार करती थी।

2 अक्टूबर था। बापू का जन्म-दिन था। सरोजनी नायडू ने दीपमालिका का प्रबंध किया था।

बा ने सुशीला से कहा, 'दीपमालिका अपनी जगह है, शंकर के यहां दिया जरूर जला आना।'

सुशीला समझी नहीं। शंकर गारद में सिपाही था। बा भला शंकर के यहां दिया जलाने को क्यों कहेंगी? उसे एकाएक ध्यान आया, पूछा, 'आप महादेव भाई की समाधि पर दिया रखने के लिए तो नहीं कह रही हैं?'

'हां हां, वही तो महादेव...शंकर का मंदिर है ना।' बा के चेहरे पर सहजता आ गयी।

महादेव भाई के न रहने से वातावरण बहुत गमगीन हो गया था। जेल का तो खासतौर से। क्योंकि घूम-फिरकर वही लोग, वही चर्चा। घटना सबके दिलोदिमाग पर छाई हुई थी। बापू ने उसका तोड़ निकाला, 'हम सब दिन-भर के एक-एक मिनट का हिसाब रखें, काम में लगे रहें, ताकि उल्टे सीधे विचार मन में न आयें। हिंसा से भरपूर दुनिया में अहिंसा को अपनी जगह खोजना है।'

बा को गुजराती सिखाना आरंभ कर दिया। जो काम युवावस्था में नहीं कर पाये थे, उसे पूरा करने की ठानी। गुजराती की पोथी में कोई भजन आ जाता था, उसे गाकर सिखाते थे। बा भी उनके साथ गाती थी। भूगोल सिखाना आरंभ किया। कभी इतिहास भी सिखाते थे। दोपहर के खाने के बाद जब थोड़ी देर लेटते थे, सोने से पहले कुछ न कुछ पढ़कर सुनाते थे। उस पर चर्चा भी करते थे। बा का मन भी बदलता जा रहा था, अच्छा भी लगने लगा था। कभी-कभी सोचती थी, पहले क्यों नहीं सीखा।

बा बहुत मनोयोग से सीखती थी। पर बा के लिए अब नयी चीज सीखना और याद रखना कठिन हो गया था। हालांकि वे याद रखने का जी-जान से प्रयत्न करती थी। बापू यह जानने के लिए कि पहला पाठ कितना याद है, बीच-बीच में सवाल पूछते रहते थे। जवाब नहीं दे पाती थी तो बापू कुछ नहीं कहते थे पर बा का मन दुःख जाता था। वैसे पुरानी से पुरानी बातें याद हैं पर किताब की बात क्यों याद नहीं रहती? एक दिन बापू ने पंजाब की पांच नदियों के नाम याद करने को दिये। बापू के सो जाने पर वे जल्दी से सुशीला के पास गयी और कहा, 'तू मुझे ये नाम कागज पर लिखकर दे दे।' उसने लिख दिये। बा दिन-भर चलते-फिरते कागज देखकर नदियों के नाम याद करती रही। लेकिन अगले दिन बापू के नाम पूछने पर समृति से वे नाम सफाचट थे। भूगोल में बापू नारंगी के माध्यम से अक्षांश, भूमध्य रेखा आदि कई दिनों तक समझाते रहे। आखिर याद हो गये। बा बच्चों की तरह खुश हो गयी। उसके कई दिन बाद प्यारेलाल मनु को वही पाठ पढ़ा रहे थे। प्यारेलाल को अंग्रेजी उर्दू में तो नाम आते थे, हिन्दी में नहीं आते थे। बा चुपचाप सुनती रही। सुशीला के पास जाकर बोली, 'प्यारेलाल की गलती बतायी तो उन्होंने गलती मानकर भूल सुधार की।' बा को अच्छा लगा कि प्यारे लाल की गलती सुधारने में मदद की।

बापू बा को पढ़ाने के प्रति गंभीर थे। बा सुन-सुनकर मतलब भर की अंग्रेजी अटक-अटककर बोलने लगी थी। मातृभाषा बोलने में परेशानी नहीं होती थी पर लिखने में दिक्कत होती थी। एक दिन बापू को गुजराती की पांचवीं कक्षा की पुस्तक मिल गयी। बापू ने बा के साथ वह किताब पढ़नी आरंभ कर दी। उसमें कविताएं भी थीं, संबंधित राग भी दिये हुए थे। बापू कविता और राग दोनों सिखाने लगे। बा के लिए यह नई बात थी। शाम को प्रार्थना में उन कविताओं को दोनों साथ-साथ गाते थे। सरोजनी नायडू हंसती थी। मजाक करती थी, 'बुढ़ापे के इस रोमांस को क्या नाम दें, बापू जी?' बापू पोपले मुंह से बच्चे की तरह हंस देते थे।

एक बार उन्होंने राज्यों की राजधानियों के नाम लिखवाये। बा ने मेहनत से याद किये। जब बापू को सुनाने का समय आया तो सब उलट-पलट हो गये। जैसे बंगाल की राजधानी लाहौर को बता दिया। बाद में भूल का पता चला तो दुःख हुआ। बा का हस्तलेख सुधरवाने के लिए स्लेट पर लिखवाते थे। एक दिन बा को पता चला कि जेल की तरफ से कैदियों को कॉपियां मिल रही हैं। बा ने संकोच के साथ बापू से कहा, 'क्या एक कापी मेरे लिए मंगवा देंगे?'

उन्होंने बा के हाथ में चार खुले कागज थमा दिये और कहा, 'पहले इन कागजों पर लिखने का अभ्यास कर ले, जब कुछ सीख जायेगी तो कापी भी मंगवा दूंगा।' बा को बापू के इस जवाब से चोट पहुंची। बा ने कागज और स्लेट बापू की मेज पर रख दिये और कहा, 'मैंने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया, धन्यवाद।' और चली आयी।

सरोजनी नायडू सुन रही थीं। उन्होंने चुपचाप एक कापी मंगवाकर सुशीला के हाथ बा के पास भिजवा दी। बा ने उसे उलटा, पलटा और धीरे से कहा, 'एक अनपढ़ के लिए इसका क्या उपयोग?' और ले जाकर बापू के कागजों में रख दिया। वही बा के शिक्षा सत्र का भी अंत था। वह कापी बहुत दिनों तक बापू के कागजों में पड़ी रही।

एक दिन बापू कुछ लिख रहे थे। बा कमरे में आ गयी। पूछा, 'क्या लिख रहे हो?'

'वाइसराय को चिट्ठी...' बापू ने बताया, 'सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अफवाहें फैला रही है।'

'कैसी अफवाहें?'

'कहते घूम रहे हैं कि कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के जरिये हिंसा कराकर सरकार का तख्ता पलटना चाहती है। देश-विदेश में अपने द्वारा किये जा रहे अत्याचारों के लिए समर्थन बटोरना चाहते हैं।' बाबू ने समझाया।

'कैसे?'

बा ऐसे मामलों में चूंकि रुचि नहीं लेती थी, इसलिए बापू सवाल सुनकर चौक गये। उन्होंने शांति के साथ समझाया कि अंग्रेज देश विदेश में क्या प्रचार कर रहे हैं और उसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा।

'तुम जानती हो कि हम सबको आंदोलन के आरंभ से पहले ही बंदी बना लिया गया था। हम लोग संघर्ष आरंभ ही कहां कर पाये। ये लोग यह निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं कि हम हिंसा पर उतारू हैं?'

'इसका मतलब है तुम फिर अनशन पर बैठने की सोच रहे हो।' बा की चिन्ता गलत नहीं थी। बोली, 'तुम अब जवान नहीं रहे, बार-बार के उपवासों ने तुम्हारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला है।'

बापू जोर से हंसे, 'तुम व्यर्थ की चिन्ता कर रही हो। तुमने कैसे सोच लिया कि अनशन करूंगा?'

बापू जिस प्रकार हंसे थे, उसका शक पक्का हो गया। बोली, 'इतने वर्ष से साथ हूं, क्या इतना भी नहीं समझ सकती कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है?'

...क्रमशः अगले अंक में

श्रद्धांजलि

महावीर त्यागी

जीवन पथ के अनथक यात्री

महावीर त्यागी का परिचय रचनात्मक जगत में भाई जी के नाम से रहा। उनका जन्म एक फरवरी 1931 को गांव कैथवाडी, जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) में पिता हरि सिंह त्यागी एवं माता कलावती त्यागी के घर हुआ। उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई सेंट चार्ल्स हाई स्कूल, सरधना एवं इंटरमीडिएट की पढ़ाई डी एन इंटर कॉलेज, मेरठ से की। युवावस्था में ही उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं संत विनोबा भावे के जीवन, दर्शन एवं विचारधारा से प्रेरित होकर अपना संपूर्ण जीवन रचनात्मक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया और इसीलिए जुलाई 1957 में गांधी स्मारक निधि (पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में) एक वर्ष ग्राम सेवक का प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा इसके पश्चात गांधी स्मारक निधि द्वारा संचालित ग्राम सफाई, भंगी कष्ट मुक्ति विद्यालय में सुप्रसिद्ध गांधी सेवक पूज्य अप्पा साहब पटवर्धन के मार्गदर्शन में, एक वर्ष तक प्रसिद्ध गांधी सेवक कंचन भाई व पद्मविभूषण ईश्वर भाई पटेल के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया।

विनोबा ने जब देश में शांतिमय अहिंसक क्रांति के लिए भूदान ग्रामदान आंदोलन प्रारंभ किया तो उस समय त्यागी जी संयुक्त पंजाब में भूदान पदयात्रा के संयोजक रहे। इस दौरान वे लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं निर्मला देशपांडे के संपर्क में भी आए और जीवन पर्यंत उनके एक अनन्य साथी के रूप में कार्य किया। भूदान यात्रा के दौरान ही उन्होंने पंजाब के प्रतिनिधि के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्री दल का नेतृत्व किया।

हरिजन सेवा एवं खादी उनके मनपसंद विषय थे और इन्हीं कार्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ में उत्तर भारत के 7 राज्यों के क्षेत्रीय संगठक के रूप में वे लंबे समय तक कार्य करते रहे तथा हरिजन सेवक संघ पंजाब व हरियाणा के महामंत्री भी रहे। हरियाणा प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन को पूरे हरियाणा में विस्तृत किया।

अखिल भारत नशाबंदी परिषद के लिए

पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुशीला नय्यर के साथ मिलकर काम किया और इस दौरान उन्होंने शराबबन्दी के लिए अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया। अखिल भारत नशाबंदी परिषद के महासचिव के रूप में उन्होंने मृत्युपर्यंत कार्य किया। बिहार में जे पी आंदोलन में सक्रियता के कारण नीतीश कुमार से नजदीकी के चलते उन्होंने राज्य में शराबबंदी के लिये उन्हें पत्राचार के माध्यम से प्रेरित किया। परिणामस्वरूप वहाँ शराबबंदी लागू हुई।

विनोबा द्वारा स्थापित आचार्य कुल एवं शांति सेना संगठन को हरियाणा में खड़ा करने में उनके सराहनीय प्रयास रहे। गौरक्षा एवं उसका संवर्धन वे अपने जीवन का उद्देश्य मानते थे। संत विनोबा भावे ने अपने तमाम सहयोगी कार्यकर्ताओं से मुंबई में चल रहे देवनार कत्लखाने के विरुद्ध गौरक्षा सत्याग्रह का आह्वान किया था। भाई जी विगत 38 वर्षों से पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाकर वहां सत्याग्रही भेजते रहे ।

पानी को बचाने के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत अभियान चलाये रखा। गांव-गांव हस्ताक्षर अभियान, पंचायतों से प्रस्ताव, यमुना किनारे गांवों में यमुना बचाओ समितियों का गठन उनकी प्राथमिकता रही। 30 अगस्त 2009 से 24 सितंबर 2009 तक उन्होंने नारनौल से पोंटा साहब की पदयात्रा की।

जनवरी 1998 में उन्होंने अमृतसर के जलियांवाला बाग से राजघाट दिल्ली तक साइकिल यात्रा का नेतृत्व किया। मजे की बात यह थी कि इस यात्रा में सभी यात्री 20 वर्ष की आयु से कम थे। जबकि उनका नेतृत्व 70 वर्ष के युवा महावीर त्यागी कर रहे थे। विश्व शांति, राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सद्भाव को समर्पित महावीर त्यागी को गांधी ग्लोबल फैमिली, नगरपालिका, समालखा, सेवा भारती समालखा, हाली पानीपती ट्रस्ट, अखिल भारत रचनात्मक समाज, आर्य समाज मेरठ, उत्तर प्रदेश महिला मंच, जिलाधिकारी पीलीभीत, अनेक विद्यालयों के माननीय प्रधानाचार्यों सहित अनेक संगठनों व संस्थाओं की ओर से उनके सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया।

अपनी इन तमाम सामाजिक गतिविधियों के बावजूद उन्होंने अपने पारिवारिक दायित्वों का भी बखूबी पालन किया। उनकी पत्नी राजेश्वरी त्यागी का देहांत उनकी युवावस्था में ही हो गया था। उन्होंने अपने पांचों बच्चों का लालन-पालन न केवल एक प्रशिक्षित व योग्य माता की तरह किया, बल्कि पिता के रूप में अपने आदर्श जीवन से संस्कार व विवेक भी प्रदान किए। त्यागी जी को कैंसर रोग की पीड़ा पिछले ढाई वर्षों से थी परन्तु उन्होंने इसे अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से सदा पराजित किया तथा इस दौरान भी अपनी गतिविधियों को जारी रखा।

वे पिछले कुछ माह से ही अति रुग्ण हो चले थे। अंत समय में समूचा परिवार सर्वधर्म प्रार्थना, बापू के प्रिय भजनों व रामधुन उनको सुनाता रहा और वे इसे सुनने का आभास देते रहे और इसी बीच यह शांति यात्री 7 नवंबर को अपनी अनन्त यात्रा पर निकल गया। शांति और क्रांति के सिपाही की अंतिम यात्रा में सैंकड़ों लोग शामिल रहे।

सर्व सेवा संघ अपने ट्रस्टी, हरियाणा सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सर्वोदय सेवक श्री महावीर त्यागी जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है तथा दुख की इस घड़ी में उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। ❑

गतिविधियां एवं समाचार

उन्नाव में गांधी चर्चा

उन्नाव सर्वोदय मंडल जन स्वाध्याय अभियान के तहत गांधी चर्चा का कार्यक्रम उन्नाव मे सम्पन्न हुआ. इस अवसर पर जिला सर्वोदय मंडल के पूर्व अध्यक्ष रामशंकर भाई ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि लोग गांधीजी के व्यक्तित्व को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। उन्होने कहा कि गांधीजी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। इस कार्यक्रम के आयोजक रघुराज सिंह ने कोचिंग में छात्र छात्राओं से कई सवाल पूछे। इन सवालों का बच्चों ने बड़े उत्साह से जवाब दिया। इस मौके पर जिला सर्वोदय मण्डल के महामंत्री संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि आज समाज को धर्म, जाति व समुदाय के आधार पर विभाजित करने वाली ताकतें गांधीजी के व्यक्तित्व के बारे मे तरह तरह की भ्रांतियां फैलाकर देश के स्वाधीनता इतिहास को कलंकित करना चाहती हैं। हमें ऐसे तत्वों से सावधान रहना होगा तथा समाज को गांधी के सिद्धांतों के अनुरूप बनाना होगा।

किसानों को कर्जमुक्त करने की मांग

फसल नुकसान के कारण अकोला के किसानों की स्थिति बदहाल हो गयी है। लगातार अकाल व प्राकृतिक आपदा के कारण जिले में किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गयी है। ऐसी स्थिति में सरकार गीला अकाल घोषित करे और किसानों को पूरी तरह से कर्ज मुक्त करे, यह मांग अकोला जिला सर्वोदय मंडल की ओर से की गयी है। सर्वोदय मंडल ने स्थानीय गांधी जवाहर बाग में बैठा सत्याग्रह किया। सर्वोदय मंडल के जिलाध्यक्ष बबनराव कानकिरड, वरिष्ठ सर्वोदयी महादेवराव भुईभार, एडवोकेट रामसिंह राजपूत, राजा देशमुख, जिला उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण वाघमारे, वसंत केदार, सचिव डॉ. मिलिंद निवाणे, रोहित तारकस, अकोट तहसील संयोजक जयकृष्ण वाकोडे, सामाजिक कार्यकर्ता डी. ओ. म्हैसने, गुरुचरण सिंह ठाकुर, साहबराव तायडे तुलंगा, विलास वानखेड़े, रामदास शेलके, महेश आढ़े, नितिन भरणे, शैलेष अलोकार आगर समेत सर्वोदयी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

–बबनराव कानकिरड

बिहार सर्वोदय मंडल ने मनायी जेपी जयंती

बिहार प्रदेश सर्वोदय मंडल ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनायी। मंडल के सदस्यों ने जेपी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की। सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष कालिका सिंह ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कहा कि जेपी का आंदोलन विस्मृत नहीं हुआ है, याद आ जाती है वह जेल यात्रा। अब सब लोगों को फिर से जगाने की प्रबल इच्छा होती है। जेपी के पदचिन्हों पर चलने के लिए सर्वोदय मंडल संकल्पित है और आज भी अंतिम जन की सेवा में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन तो हुआ लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। प्राकृतिक आपदा से बिहार के गरीब जूझ रहे हैं, जिनका मकान गिर गया उन्हें आवास तथा उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर सरकार गंभीरता से विचार करे। इस दौरान कई अन्य साथी भी मौजूद रहे।

जन-समस्याओं पर चर्चा

भभुआ जिले के अधौरा प्रखंड के विनोबा नगर में बिहार प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष कालिका सिंह द्वारा ग्रामीणों के साथ बैठक की गयी। बैठक में ग्रामीणों की समस्याओं पर चर्चा हुई। इसके संबंध में कालिका सिंह ने बताया कि संत विनोबा भावे को मिली करीब 86 एकड़ दान-भूमि में गरीब परिवारों को बसाया गया हैं। उस जमीन पर भूदान किसान खेती करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। गांव में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय है, जहां बच्चों को पानी पीने के लिए चापाकल भी नहीं है। एक कुआं है, पेयजल के अभाव में पठन-पाठन करने में बच्चों को परेशानी उठानी पड़ती है। पहाड़ की तलहटी में जगजीवन नहर उसी गांव से होकर गुजरती है, पर भूदान किसानों की पानी के अभाव में फसल की सिंचाई नहीं हो पाती है।

गुजरात में 9वीं की परीक्षा में पूछा गया सवाल

'गांधीजी ने आत्महत्या कैसे की?'

गुजरात में नौवीं कक्षा की आंतरिक परीक्षा में एक चौंकाने वाला प्रश्न पूछा गया है कि 'गांधीजी ने आत्महत्या कैसे की?' परीक्षा में यह अटपटा प्रश्न पूछे जाने का मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने इसकी जांच शूरू कर दी है।

एक अधिकारी ने बताया कि 'सुफलाम शाला विकास संकुल' के बैनर तले चलने वाले विद्यालयों में नौवीं कक्षा की आंतरिक परीक्षा में पूछा गया, ''गांधीजी ने आत्महत्या कैसे की?' सुफलाम शाला विकास संकुल कुछ स्व वित्तपोषित विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों का संगठन है, जिन्हें गांधी नगर में सरकारी अनुदान मिलता है.

गांधीनगर के जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्ववित्तपोषित स्कूलों के एक समूह ने और अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूलों ने ये प्रश्न अपनी आंतरिक परीक्षाओं में शामिल किया था. ये प्रश्न बहुत आपत्तिजनक हैं और हमने इसकी जांच शुरू कर दी है. रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि सुफलाम शाला विकास संकुल के बैनर तले संचालित होने वाले इन स्कूलों के प्रबंधन ने ये प्रश्न पत्र तैयार किए थे और इनका राज्य शिक्षा विभाग से कोई लेना-देना नहीं है.

जिला सर्वोदय मंडल मुजफ्फरपुर का पुनर्गठन

दिनांक 16 नवंबर 2019 को जिला सर्वोदय मंडल मुजफ्फरपुर का गठन सर्वसम्मति से हुआ। सर्वोदय ग्राम कोन्हौली में आयोजित कार्यक्रम में बिहार सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष कालिका सिंह के नेतृत्व में सम्पन्न हुए निर्वाचन

में सर्व सेवा संघ के मंत्री रमेश पंकज निर्वाचन अधिकारी के रूप में मौजूद थे। लगभग 50-60 लोकसेवकों की उपस्थिति में परमहंस प्रसाद सिंह जिला सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष तथा सुरेन्द्र कुमार केन्द्रीय प्रतिनिधि चुने गये। उल्लेखनीय है कि बिहार सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष कालिका सिंह ने केन्द्रीय पर्यवेक्षक की भूमिका भी निभायी। जिला सर्वोदय मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अपनी जिला कार्यकारिणी का गठन करेंगे। कार्यक्रम में वर्षपर्यंत बापू की 150वीं और विनोबा की 125वीं जयंती पूरे बिहार में मनाये जाने का निर्णय हुआ। जेपी के मुसहरी प्रवास के पचास वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी पूरे बिहार में पूरे वर्ष कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। **–कालिका सिंह**

प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर रैली का आयोजन

दिनांक 18.11.19 को गांधी स्मारक भवन, सेक्टर 16 ए, चण्डीगढ़ में प्राकृतिक चिकित्सा समिति, चण्डीगढ़ के तत्वाधान में दूसरा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस (नेचुरोपैथी डे) मनाया गया। 'रन फॉर नैचुरोपैथी' का आयोजन सुखना लेक पर किया गया, जिसमें लगभग 200 लोगों ने भाग लेकर प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता के. के. शारदा ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल रैली में शामिल हुए।

प्राकृतिक चिकित्सक डॉ. एम. पी. डोगरा, अध्यक्ष प्राकृतिक चिकित्सा समिति, ने प्राकृतिक उपचार पर बोलते हुए कहा कि अधिकतर रोग तो जीवनशैली में बिगाड़ की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं। हम प्रकृति से जितना दूर जा रहे हैं, उतना ही रोगों से घिरते जा रहे हैं। हम प्राकृतिक जीवन और संयमित जीवनशैली से इन रोगों से बच सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि यदि हम प्रकृति के अनुसार चलें तो हम रोगी होंगे ही नहीं, एवं हमें दवाइयाँ लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मौसमी फल एवं सब्जियों का सेवन करें, मोटे अनाज को अपने खान-पान में शामिल करें, भूख अनुसार टुकड़ों-टुकड़ों में खाएं, उचित मात्रा में पानी पीएं, जल्दी सोएं और जल्दी उठें एवं योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ऐसा करके हम स्वस्थ एवं निरोगी काया पा सकते हैं। **–के. के. शारदा**

असम सर्वोदय मंडल ने मनायी बापू-जयंती

दो अक्टूबर को असम के प्रसिद्ध मनोहारी देवी महाविद्यालय कानोई के प्रांगण में बा और बापू की 150वीं जयंती समारोहपूर्वक मनायी गयी। इस कार्यक्रम में सात सर्वोदय विचारकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एक पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं, विद्वानों और विशिष्ट नागरिकों ने हिस्सा लिया। पदयात्रा के बाद एक चित्र प्रदर्शनी तथा सूत्रयज्ञ का आयोजन हुआ। असम सर्वोदय मंडल के सान्निध्य में 3 नवंबर को एक कार्यक्रम धेमाजी जिला सर्वोदय मंडल की ओर से भी किया गया। इस कार्यक्रम में बा-बापू और बाबा विनोबा के विचारों पर आधारित कार्यक्रम आगे भी निरंतर करते रहने का निर्णय किया गया।

कश्मीर के नागरिकों को लोकतांत्रिक सुविधाएं दी जायें

जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

भारत सरकार द्वारा कश्मीर से 370 हटाये जाने के लगभग 100 दिन पूरे हो गये हैं। किन्तु अभी तक कश्मीर के नागरिकों को लोकतांत्रिक सुविधाओं से दूर रखा गया है। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित वर्धा के नागरिकों ने कश्मीरियों के साथ एकता दिखाते हुए 13 नवंबर को एक दिन का उपवास कर जिलाधिकारी के मार्फत राष्ट्रपति कोविंद को ज्ञापन भिजवाया है। ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार ने कश्मीर में लागू विवादित धारा 370 को हटा दिया है। साथ ही वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। उस प्रक्रिया को लगभग 100 दिन पूरे हो गये। परंतु अभी भी सोशल मीडिया पर रोक लगी हुई है। फोन सेवाएं बंद हैं। इस कारण कश्मीर की जनता का देश-दुनिया से संवाद लगभग टूट गया है। जिस कारण नागरिकों के नैतिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते समय मनोज चांदुकर, अविनाश काकड़े, सुनील कोल्हे, सुधीर पागुल, संदीप किटे, श्रीकांत डगे, सूरज पाखड़े, मिलिंद मोहड़, प्रशांत चोरों, हरिचंद नाव्हे, प्रमोद हावरे, रिजवान पठान, विलास अमझीरे, धनराज अमझीरे, लक्ष्मण नांदणे और ज्ञानेश्वर दाढगे आदि उपस्थित थे।

–अविनाश काकड़े

छात्र-संघर्ष के समर्थन में सभा

समान शिक्षा आंदोलन, उत्तर प्रदेश और समाजवादी जनपरिषद, वाराणसी के संयुक्त तत्त्वावधान में 23 नवंबर को एक सभा का आयोजन किया गया। सर्व सेवा संघ प्रकाशन के ऊपरी मंजिल पर स्थित विनोबा सभागार में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच के आवाहन पर किया गया। यह आवाहन नयी शिक्षा नीति के विरोध में छात्रों के संघर्ष को समर्थन देने के लिए किया गया था।

इस मौके पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय तथा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अनेक छात्र-छात्राओं तथा शिक्षक-शिक्षिकाओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। छात्रों ने नयी शिक्षा नीति और शिक्षा के अधिकार पर अपने विचार खुलकर रखे। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियां गरीब विरोधी हैं। इस तरह सुविधाविहीन छात्र-छात्राओं की मेधा को कुंठित किया जा रहा है। कितना भी प्रतिभासम्पन्न बच्चा हो, लेकिन अगर उसके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो वह कैसे पढ़ सकेगा? कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं और शिक्षकों ने इस भेदभाव युक्त शिक्षा प्रणाली का निर्णायक विरोध करने का अपना संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता रामजनम, संजीव सिंह, प्रो. सोमनाथ, प्रो. महेश विक्रम, डॉ. मुनीजा खां के अलावा सैकड़ों युवा उपस्थित थे। ❑

'Sarvodaya Jagat' Hindi Fortnightly
Registered under RNI No. 35495/78, Postal Registration No. VSI-(E) 04, Valid upto 31 December 2020
Issued by S.S.P.O. Varanasi (East Division)

कविताएं

हत्यारे की दाढ़ी में फंसा है एक तिनका

–हरिराय राजोरिया

एक

हत्यारे को तो अब याद भी नहीं
कि कभी वह हुआ करता था हत्यारा।
सारे सबूत मिटाए जा चुके हैं,
रास्ते के काँटे हटाये जा चुके हैं,
हत्यारे के निजी दस्तावेजों में हत्यारा
एक निर्दोष और सम्मानित नागरिक है।
भले ही सहज मनुष्य होने का
स्वांग कर रहा हो हत्यारा
पर अंततः है तो
वह एक चालाक हत्यारा ही;
आदतें और स्वभाव तो
हत्यारों के–से ही हैं।
वह अपने भीतर दुबके
हत्यारे को चालाकी से छुपाता है,
इस प्रक्रिया के चलते हत्यारा
एक अभिनेता में रूपांतरित हो जाता है।
अब वह जोरदार अट्टहास करता है,
हाथ मिलाता है , फोटो खिंचवाता है,
अकेला कहीं कुर्सी पर बैठा-बैठा
ईश्वरीय आभा से ओतप्रोत
भगवान के कैलेंडरों जैसा
मंद-मंद मुस्काता है।

हत्यारे की दाढ़ी में फंसा है
एक तिनका;
जो ताकतवर और
तिकड़मी होने के बावजूद
भीतर ही भीतर उसे डराता है
अकसर अकेले में
हत्यारा मन ही मन बड़बड़ाता है,
अतीत और इतिहास को
झूठा बतलाता है,
होने को हुआ करे बहुत बड़ा बक्काड़,
पर झूठ बोले बग़ैर
वह पूरा एक वाक्य नहीं बोल पाता है।

दो

अखबारों में खबर शाया हुई
कि जैसे ही हत्यारे को जमानत मिली,
हत्यारे ने जेल से ही घोषणा की
कि अब वह कविताएं करेगा
और आपनी राष्ट्रीय भावनाओं को
शब्दों में पिरोकर धर्मप्रेमी
बंधुओं तक पहुंचाएगा।

हत्यारे ने कहा कि जब आप राष्ट्रहित में
किसी का वध कर देते हैं
और इस कार्यवाही में
हत्या और आपके बीच में
कहीं राष्ट्र आता है,
तो फिर यह हत्या नहीं,
आपके लिए गौरव का विषय हो जाता है।

हालांकि इन सब कामों में
धैर्य, साहस और लायकी की
ज़रूरत होती है।
हत्यारे के इन विचारों से प्रेरित होकर
एक काबीना मंत्री ने
हत्यारे का माल्यार्पण कर स्वागत किया,
माता - बहिनों ने हत्यारे का
तिलक कर आरती उतारी
खूब जयकारा हुआ हत्यारे का।

इन्हीं भावुक क्षणों के दरम्यान
अर्ध शिक्षित हत्यारे के मन में
कविता करने का भी ख्याल आया।

तीन

अजीब दौर आया है
दंगाइयों और हत्यारों को
समाज में ऊँचा स्थान हासिल हो गया है,
पद, पदवियाँ, पुरस्कार, टिकट,
धन, वैभव
सब उनके सामने छोटे हैं
वे जहां चाहें, जिस कुर्सी पर
बैठ सकते हैं।
आप नहीं समझ रहे,
आपकी इसी नासमझी के चलते ही
वे आज यहाँ तक पहुँचे हैं।
हत्यारों का गौरवगान हो रहा है,
कोई युगपुरुष कह रहा है,
कोई मक्कारियों और झूठ को
कर रहा है महिमामंडित।

आज हर आदमी के हिस्से में
एक देवता है।
हर जाति के ठेके बांटे जा चुके हैं,
ठेके से जुलूस निकल रहे हैं,
निकल रही हैं चुनरी और
कांवर यात्राएँ।
ठेका देकर लड़ाया जा रहा है
नागरिकों को।
लोग अकारण हुंकारें भर रहे हैं,
घृणा सिखाने की कक्षाएं चल रही हैं,
आरोपित औपचारिकताओं में
नागरिक दीक्षित हो रहे हैं,
ईश्वर तक का चरित्र
बदला जा रहा है,
मनुष्य को क्रूर और
हिंसक बनाने के लिए
नई-नई संहिताएं तैयार हो रही हैं।

हत्यारा दिन-रात काम कर रहा है।
नया सहज ज्ञान,
नया इंसान,
नया देश बन रहा है,
श्रम के गौरव का लोप हो रहा है। ❑

सर्व सेवा संघ (स्वत्वाधिकारी) के लिए महामंत्री, शेख हुसैन द्वारा सर्व सेवा संघ परिसर, राजघाट, वाराणसी (उ.प्र.) 221001 से प्रकाशित तथा महावीर प्रेस, भेलूपुर, वाराणसी से मुद्रित। संपादक : बिमल कुमार।